मंगलवार,
२५ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

---:o:---

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation

लोक सभा

मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बल्व्हेडेर का पुस्तकालय

*६२४. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैल्व्हेडेर के पुस्तकालय में विस्तार तथा परिवर्तन करने का कर्यक्रम अब पूरा हो गया है ; तथा

(ख) क्या यह पूर्ण विकसित पुस्तकालय जनता के लिये औपचारिक रीति से खुला कर दिया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, कुछ गौण बातों को छोड़ कर।

(ख) जी नहीं, किन्तु वास्तव में जनता को पुस्तकालय से पूरा लाभ मिल रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : इस पुस्तकालय में ऐसी कौन कौन सी विशेषतायें रखी गई हैं जो साधारण पुस्तकालयों में नहीं रहती हैं तथा जिन की वजह से इस का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाना यथार्थ साबित हो जाय ?

श्री के० डी० मालवीय : देश के विभिन्न विख्यात व्यक्तियों द्वारा समर्पित ग्रंथ-संग्रह यहां एकत्रित किये गये हैं ....

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : वसीह पैमाने पर एक कुतबख़ाना है जहां बरसों से किताबें जमा होती आई हैं। इस में हर साल २०–२५ हज़ार रुपये की किताबें बढ़ाई जाती हैं। और कोई ख़ास ख़सूसियत बतलाना मुश्किल है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस में भारत की सारी भाषाओं के संग्रह होंगे अथवा इसको भारत की कुछ भाषाओं तक ही सीमित रखा जायेगा ?

मौलाना आज़ाद : जहां तक मुझे मालूम है, ज्यादा तर इस में अंग्रेज़ी की किताबें हैं।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : एक बात मैं आप से अर्ज़ करूं कि शायद पार्लियामेंट के सामने यह बात पेश होने वाली है कि हर जबान में जितनी भी किताबें हिन्दुस्तान में छपें, वह वहां भेजी जायें, यानी पब्लिशर्स एक आध कापी वहां भी भेजें, जैसा कि और मुल्कों का दस्तूर है। उर्दू, हिन्दी के तीन चार बड़े कुतबख़ाने हिन्दुस्तान में हों जहां कि हर क़िस्म की किताब जो छपती है वह जैसा विलायत और दूसरे मुल्कों में भी दस्तूर है अपने पब्लिकेशन्स की एक कापी वहां भेजें, ताकि हमारे यहां भी चन्द बहुत बड़ी लायब्रेरियां बन सकें।

सरदार हुक्म सिंह : इस संस्था में ग्रंथपालन का प्रशिक्षण देने के लिये एक विद्यालय चलाया जाता था। क्या वह अभी चालू है अथवा बन्द कर दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री दामोदर मेनन : क्या पुराने हस्त-लेख भी यहां रखने का सरकार का इरादा है ?

श्री के० डी० मालवीय : वैसा तो कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, श्रीमान् ।

निकल

*६२५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सिक्कों के लिये आवश्यक निकल के विषय में भारत आत्मनिर्भर है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो उसको आवश्यक निकल कहां से मिलती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी नहीं । भारत में कोई निकल नहीं पाई जाती है ।

(ख) निकल का आयात विदेशों से किया जाता है, विशेषतः इंगलिस्तान तथा कनेडा से ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष आयातित निकल का मूल्य कितना था ?

श्री एम० सी० शाह : गत वर्ष, अर्थात् सन् १९५१ में अन्तर्राष्ट्रीय धातु सम्मेलन जो फ़रवरी १९५१ में स्थापित हुआ था, हमारे लिये २४५ टनों का अंश निर्धारित किया था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय धातु सम्मेलन से इस वर्ष निकल का अंश बढ़ाने के लिये प्रार्थना की है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, हम ने प्रार्थना तो की है, किन्तु उन्हों ने १९५२ की पहली तिमाही के लिये केवल ९५ टन, दूसरी के लिये ९६ टन तथा तीसरी के लिये ९६.८ टन निकल दी है । सम्मेलन द्वारा सिक्कों के लिये कोई अंश नहीं दिया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस प्रार्थना के स्वीकार होने की अपेक्षा है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं निश्चित कुछ कह नहीं सकता । हमने दबाव डाला है । परन्तु हमारे पास सिक्कों के लिये आवश्यक निकल का संचय है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार ने नेपाल स्थित निकल तथा कोबाल्ट के स्रोतों का विकास करने के लिये कुछ पग उठाये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है ; परन्तु मैं पता लगाऊंगा ।

श्री केलप्पन : क्या मैं इन आयातों का मूल्य जान सकता हूं ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास जान-कारी नहीं है । मैं बाद में वह बतलाऊंगा ।

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : श्रीमान्, क्या मैं सुझाव करूं कि प्रश्न संख्या ६२६ तथा ६३२ एक साथ लिये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ६३२ श्री पटनायक के नाम से है । क्या वे यहां हैं ? (उनका नाम पुकारने के बाद) वे यहां नहीं हैं । अतः माननीय मंत्री केवल प्रश्न संख्या ६२६ का ही उत्तर दें ।

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइन्सेस

*६२६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह प्रशिक्षण क्रम अभी जारी है जो जेल अधिकारियों के लिये टाटा इन्स्टि-ट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस, बम्बई में संगठित किया गया था तथा जिसका संचालन एक अमेरिकी अपराध-विशेषज्ञ के द्वारा हो रहा था ;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों के उन ज्येष्ठ जेल अधिकारियों की संख्या जिन्हों ने अब तक इस प्रशिक्षण क्रम से लाभ उठाया है ?

(ग) क्या उपर्युक्त विशेषज्ञ ने विभिन्न राज्यों की जेलों का दौरा पूरा करने के बाद

भारत सरकार के सम्मुख कोई प्रतिवेदन पेश किया है ; तथा

(घ) यदि हां, तो उन्हों ने कौन कौन से प्रमुख सुझाव किये हैं ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं । प्रशिक्षण क्रम १९५२ के जनवरी से जून तक चलाया गया था ।

(ख) ४७ ।

(ग) अभी नहीं । आशा है कि वे अपना प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघटन की मार्फत पेश करेंगे ।

(घ) प्रतिवेदन की प्रति यथावकाश सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघटन का भी एक अपराध विशेषज्ञ आमंत्रित किया गया है, और, यदि है, तो वह अभी क्या कर रहा है ?

श्री दातार : डा० रेकलेस को प्रथम बुलाया गया । इन्हीं का उल्लेख पहले एक दिन किया गया था । उनका कार्यभार अब डा० गालवे संभाल रहे हैं । वे उसी काम के लिये भारत में इस वर्ष के अन्त तक संचार कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार अथवा कुछ राज्य सरकारें जेल-सुधार की समस्या से सम्बन्धित अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करने के लिये पग उठा रही हैं ?

श्री दातार; : कुछ राज्यों के जेल अधिकारियों का एक सम्मेलन बम्बई में हुआ था । जेल अधिकारियों का और कोई सम्मेलन आयोजित करने का इरादा नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक किये गये सुझावों के फलस्वरूप अथवा स्वयं सरकार की प्रेरणा से कोई समिति नियुक्त की जा रही है जो जेल-सुधार में लगी हुई सरकारों के कार्य का समन्वय करेगी अथवा उन्हें मंत्रणा देगी ?

श्री दातार : डा० रेकलेस का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि खुद फेडरल ब्यूरो आफ इन्वैस्टिगेशन के प्रतिवेदन के अनुसार ही अमेरीका में गुण्डेबाजी तथा गम्भीर अपराधों का परिमाण सब से अधिक है तथा क्या इन अमेरीकी विशेषज्ञों को यहां बुलाने के पहले उनके अमेरीका में किये हुए कार्यों का मूल्यमापन किया गया था ?

श्री दातार : मुझे कोई जानकारी नहीं ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि आजकल पुलिस विभाग से जेल अधिकारी भर्ती किये जाते हैं और, यदि हैं, तो क्या यह सम्भव है कि अपराधों की जांच में समय व्यतीत हो चुकने के कारण उनका जेल के वातावरण पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा ?

श्री दातार : मैं प्रश्न के पूर्वार्ध का उत्तर दूंगा । पुलिस विभाग से कुछ जेल अधिकारी भर्ती किये जाते हैं । प्रश्न के उत्तरार्ध के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद राज्यों की जेलों में क्या कुछ परिवर्तन हुए ?

श्री दातार : कोई परिवर्तन नहीं किया गया, श्रीमान् ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विद्यालय में कौन कौन से विषय सिखाये जाते हैं तथा राज्य प्रतिनिधियों का अध्ययन पूरा होने के बाद क्या वे अपने अपने राज्यों के जेल अधिकारियों से भी उन विषयों का अध्ययन कराते हैं ?

श्री दातार : भारत सरकार द्वारा कोई विद्यालय नहीं चलाया जाता । टाटा

इन्स्टिट्यूट आफ सोशल साइन्सेस यह एक विद्यालय है जहां अपराध-विज्ञान तथा चरित्र-सुधार-प्रशासन के विषयों पर कुछ व्याख्यान दिये गये ।

वित्त आयोग

*६२७. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **वित्त** मंत्री दिनांक २१ मई १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ८४ को दिये गये उत्तर का परिशीलन कर बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वित्त आयोग का विभिन्न राज्यों का दौरा समाप्त हो गया है जो उसने आय कर से प्राप्त कर से प्राप्त निधि का विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र में वितरण करने की बुनियाद निश्चित करने के लिये शुरू किया था ?

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों द्वारा दिये गये सुझावों की प्रमुख धारायें क्या हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होता है तथा क्या वह बढ़ा दिया गया है ?

श्री त्यागी : आयोग का कार्यकाल नवम्बर में समाप्त होता है और वह दिसंबर १९५२ तक बढ़ा दिया गया है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या उसको और भी बढ़ाने का विचार है ?

श्री त्यागी : जी नहीं । मैं समझता हूं कि आयोग का प्रतिवेदन दिसम्बर के अन्त तक पेश किया जायगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या केन्द्रीय सरकार ने आयोग के सम्मुख कोई अभिवेदन प्रस्तुत किया है ?

श्री त्यागी : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने मुझको इसकी याद दिलाई । मुझे भय है कि मेरे पास जानकारी नहीं है कि मेरे मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई अभिवेदन प्रस्तुत किया या नहीं । मुझे भय है कि ग़ैरहाजरी की वजह से मैं अपना मुकदमा हार जाऊंगा । मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने राज्यों तथा केन्द्र के बीच राजस्व का बंटवारा करने के अलावा और भी कोई काम आयोग को सौंपा है ?

श्री त्यागी : जी नहीं । और कौन सा काम ? आयोग का कर्तव्य संविधान द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है । संविधान के उपबन्धों के अनुसार ही आयोग का निर्माण हुआ है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि कुछ अन्य काम भी सौंपे गये होंगे और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आयोग को किसी अन्य मामले की जांच कर प्रतिवेदन देने के लिये कहा है ।

श्री त्यागी : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं ।

श्री बी० दास : क्या मैं माननीय मंत्री का इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाऊं कि पृच्छा के विषयों में अनुच्छेद २८० के खंड ३ के उपखंड (क), (ख) तथा (ग) का ही समावेश किया गया है और माननीय वित्त मंत्री द्वारा उपखंड (घ) की उपेक्षा की गई है जिसके अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग को अन्य कोई विषय सौंप सकते हैं ।

श्री त्यागी : जहां तक मुझे ज्ञात है, किसी महत्वपूर्ण बात की पृच्छा नहीं की गई है । और किसी गौण बात की पृच्छा की गई हो तो अभी मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है ।

मछली पकड़ने के जालों के लिय नीलोन तथा रेयोन के सूत का उपयोग

*६२८. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की प्रेरणा से ताजे पानी के मीनक्षेत्रों में मछली पकड़ने के जाल में रूई के स्थान में नीलोन तथा रेयोन के सूत के संभाव्य उपयोग के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है ?

(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर हां हो तो उस अनुसन्धान के फल क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्देशीय मीनक्षेत्रों के लिये प्रति वर्ष रूई का कितना सूत खर्च होता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे विदित नहीं ।

श्री वी० पी नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को पता है कि नीलोन तथा रेयोन के सूत के उपयोग के बारे में मद्रास में कुछ अनुसन्धान हो रहा है तथा क्या भारत सरकार देश की अन्य अनुसन्धान इकाइयों से आदानप्रदान करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे मद्रास के अनुसन्धान का पता नहीं किन्तु मेरी राय में हमारे मीनक्षेत्र अनुसन्धान केन्द्र इस प्रकार की जांच के लिये असमर्थ हैं ।

विदेशी ऋण

*६२९. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत अपनी विकास योजनाओं के लिये कुल कितना विदेशी ऋण प्राप्त कर सका है तथा ये ऋण किन सूत्रों से मिले हैं ?

(ख) इसमें से कितनी राशि सरकारी स्तर पर तथा कितनी निजी उद्योगों को मिली है ?

(ग) और कितने ऋणों के लिये की गई प्रार्थनायें अनिर्णीत हैं ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख)। मैं सदन का ध्यान दिनांक २५ जून, १९५२ को प्रश्न संख्या २५४ के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकर्षित करता हूं ।

(ग) इस मामले में वार्तालाप जारी है और उसको प्रगट करना जनहित के विरुद्ध होगा ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार को अब तक कितनी राशि मिली, और उसका किन उद्देश्यों के लिये किस प्रकार उपयोग किया गया ?

श्री बी० आर० भगत : विशिष्ट उद्देश्यों के लिये ही ऋण लिये गये । एक ऋण विश्व बैंक से लिया गया । उसकी राशि ५८८ लाख की थी जिसका उपयोग बोखारो विद्युत केन्द्र, रेलवे के डिब्बों के कारखाने, तथा अन्य कामों में किया गया । दूसरा ऋण संयुक्त राज्य अमेरीका के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक से लिया था । यह वही गेहूं का ऋण था ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित की है जिससे अधिक ऋण वह विदेशों से नहीं लेगी ।

श्री बी० आर० भगत : यह सीमा अथवा आवश्यकता का सवाल नहीं है । यहां उपलब्धि का सवाल है ।

श्री पटेरिया : क्या मैं जान सकता हूं कि इन ऋणों के साथ साथ कुछ राजकीय शर्तें हैं ?

श्री बी० आर० भगत : नहीं।

भा० प्र० से० परीक्षायें

*६३०. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद ली गई भारतीय प्रशासनीय सेवा परीक्षाओं में कितनी महिलायें बैठीं, कितनी यशस्वी हुईं और यशस्वी महिलाओं में से कितनी नियुक्त हुईं ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री ए० एन० विद्यालंकार : इस विवरण के अनुसार सन् १९४८ में इस परीक्षा में १० महिलायें बैठीं, १९४९ में १९, १९५० में २८ तथा १९५१ में २७। उन में से सन् १९४८ में केवल दो, १९४९ में कोई भी नहीं, १९५० में दो तथा १९५१ में दो महिलायें यशस्वी हुईं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जांच की है कि इन परीक्षाओं में इतनी कम महिलायें क्यों बैठती तथा यशस्वी होती हैं।

श्री दातार : ये परीक्षायें नई हैं तथा महिलाओं के लिये भी वे नई ही हैं। इसलिये उन में भाग लेने में महिलाएं कुछ समय लेंगी।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो महिलायें परीक्षा में यशस्वी हुईं किन्तु जिनको नियुक्त नहीं किया गया उनका आगे क्या होता है ?

श्री दातार : जो परीक्षाओं में यशस्वी हुईं उन सब को नियुक्त किया गया है। उन को एक तो भारतीय प्रशासनीय सेवा में या भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किया जाता है अन्यथा केन्द्रीय साचिविक सेवा में नियुक्त किया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : परीक्षा में बैठ कर यशस्वी होने के बाद नियुक्ति के लिये क्या कोई अवधि निर्धारित की गई है और क्या उस अवधि के पश्चात् उन्हें फिर परीक्षा में बैठना पड़ता है ?

श्री दातार : जो यशस्वी होते हैं उन को यथाशीघ्र नियुक्त किया जाता है। कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

रक्षा विभाग के कर्मचारियों के अवलम्बी (रियायतें)

*६३१. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चों तथा अवलम्बियों को कौन कौन सी शैक्षणिक रियायतें दी जाती हैं ?

(ख) इस स्थान में 'अवलम्बी' की परिभाषा क्या की जाती है ?

(ग) दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व तथा पश्चात् इस उद्देश्य के लिये सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च हुई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) स्थल बल के सक्रिय तथा भूतपूर्व ज्यूनियर कमिशण्ड अफसर एवं अन्य सैनिकों को तथा नौ बल एवं विमान बल के तत्स्थानीय कर्मचारियों को नोवगोंग, अजमेर, बेलगांव तथा बंगलोर के किंग जार्ज लश्करी विद्यालयों में निम्नलिखित रियायतें मिलती हैं :—

(१) कुल ३०० में से १५० स्थान इन लोगों के बच्चों के लिये रक्षित हैं।

(२) असैनिक नागरिकों के लिये फीस प्रतिमास १२५ रु० तथा कपड़ों के लिये

४०० रु० देने पड़ते हैं। उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों को अपने वेतन के १० प्रतिशत रुपये देने पड़ते हैं। (भूतपूर्व कर्मचारियों को अपने अन्तिम वेतन का १० प्रतिशत देना पड़ता है।) ज्यूनियर कमिशण्ड अफसरों को कपड़ों के लिये ८१-८-० रु० तथा अन्य सैनिकों को केवल ११-११-० रु० देने पड़ते हैं।

सनवर तथा लव्हडेल के लारेन्स विद्यालयों के सिवाय अन्य असैनिक सार्वजनिक विद्यालयों में रियायतें देने की बात राज्य सरकारों के अधीन है और उसके बारे में तफ़सील उपलब्ध नहीं है। सनक्रर तथा लव्हडेल के लारेन्स विद्यालयों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) किंग जार्ज स्कूलों में अवलम्बी का अर्थ केवल औरस बच्चे किया जाता है।

(ग) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि रक्षा विभाग में काम करने वाले वृद्ध मातापिताओं के अवलम्बी भी इस में शामिल हैं?

सरदार मजीठिया: श्रीमान्, इस प्रश्न का उत्तर मैं ने पहिले ही दे दिया है। माननीय सदस्य के लिये मैं दुबारा कहूंगा कि जहां तक किंग जार्ज विद्यालयों का सम्बन्ध है, 'अवलम्बी' शब्द का अर्थ केवल औरस बच्चे ही होता है।

श्री एस० सी० सामन्त: मेरा प्रश्न था कि क्या 'अवलम्बी' के अन्दर बच्चों के सिवाय अन्य किसी का समावेश नहीं होता?

सरदार मजीठिया: अन्य विद्यालयों के लिये।

अध्यक्ष महोदय: किसी विद्यालय के लिये।

सरदार मजीठिया: जी नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रक्षा विभाग के भूतपूर्व तथा सक्रिय कर्मचारियों के अवलम्बियों को व्यापार की अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं? अनियंत्रित वस्तुओं के व्यापार की अनुज्ञप्तियां।

सरदार मजीठिया: यह प्रश्न उठता नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय रेड क्रास समिति निधि ने रक्षा विभाग के भूतपूर्व तथा सक्रिय कर्मचारियों के अवलम्बियों के लिये कोई रकम दी है?

सरदार मजीठिया: यह प्रश्न भी उठता नहीं।

अनेक सदस्य खडे हुए--

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न को संक्षेप करूंगा। जिस सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है. . . .

श्री सारंगधर दास: क्या 'अवलम्बियों' में खुद के बच्चों के अलावा अन्य सम्बन्धियों के बच्चे जो उक्त कर्मचारी पर अवलम्बित हैं, समाविष्ट किये जाते हैं?

सरदार मजीठिया: यदि माननीय सदस्य 'औरस बच्चों' का अर्थ समझते हों तो केवल उन्हीं का समावेश होता है। श्रीमान्, यह मामला दूसरा है।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह रियायतें केवल उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों को ही क्यों दी जाती हैं और अन्यों को क्यों नहीं?

सरदार मजीठिया: मैं इस बारे में पूछताछ करूंगा।

सरदार हुक्म सिंह: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि 'औरस बच्चे' शब्द का प्रयोग क्या केवल अनौरस बच्चों को अपवर्जित करने के लिये किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ॥ यह केवल निर्वचन का प्रश्न है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इन अवलम्बियों को किसी अन्य सूत्र से मदद मिलती है, उदाहरणार्थ, भारतीय रेड क्रास समिति, भैषजिक सुश्रुषा निधि, आदि ।

सरदार मजीठिया : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि जहां तक भाग (ग) का सम्बन्ध है, जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है क्योंकि दूसरे विश्वयुद्ध के पूर्व तथा पश्चात् के आंकड़े एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम खर्च होंगे वे फलों की अपेक्षा अत्यधिक हैं ।

निवारक निरोध अधिनियम

*६३४. **श्री वैलायुधन :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् द्वारा निवारक निरोध अधिनियम पारित किये जाने के बाद विभिन्न राज्यों में मुक्त किये गये बन्दियों की संख्या ; तथा

(ख) उक्त विधान के पारण के बाद बन्दीस्थ व्यक्तियों की संख्या ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) :

(क) १३७ } दिनांक ३०-९-१९५२, जब से निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२, अमल में आया तब से ३१-१०-१९५२ तक की अवधि में ।
(ख) ४१ }

श्री के० के० बसु : क्या हम जान सकते हैं कि इनमें से कितने बन्दी पहिले अधिनियम के अधीन निरुद्ध किये गये थे ?

श्री दातार : मैं ये आंकड़े यहां तुरन्त नहीं दे सकता ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि बिभिन्न राज्यों के राजबन्दियों की दशा अलग अलग है, तथा क्या सरकार का इस में एकसूत्रता लाने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री माधव रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि पहिले निरोध आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद इस अधिनियम के अमल में आने पर कितने मामलों में नये आदेश लागू किये गये ?

श्री दातार : ये आंकड़े दिये गये हैं ॥ उपर्युक्त सारे मामले इस अधिनियम के अमल में आने के बाद के नये मामले हैं ।

श्री नम्बियार : यह ध्यान में रखते हुए कि माननीय गृह कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि राजबन्दियों को जेल में अच्छा भोजन तथा अन्य सुविधायें दी जायेंगी, क्या मैं जान सकता हूं कि हैदराबाद के राजबन्दियों को, जो अभी जेलों में हैं, ये सुविधायें दी जा रही हैं ?

एक माननीय सदस्य : और बम्बई में भी ?

श्री दातार : अधिनियम स्वीकृत होने के बाद विभिन्न राज्यों को एक परिपत्र भेजा गया था जिस में उन से प्रार्थना की गई थी कि संशोधन विधेयक की चर्चा के दौरान में माननीय मंत्री नें सदन को जो आश्वासन दिये थे उनको अमल में लाया जायें ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कल उच्चतम न्यायालय के डिविजन बेंच द्वारा घोषित निर्णय की ओर ध्यान दिया है जिस में कहा गया है कि यह अधिनियम अमल में आने के पहिले ही हैदराबाद के बन्दियों की निरोधन-अवधि बढ़ा दी गई थी ? क्या उनको अब मुक्त कर दिया गया है ? क्या किसी अन्य राज्य में भी ऐसे राजबन्दी हैं जिनकी अवधि इसी प्रकार बढ़ा दी गई है और क्या उनके मामलों का पुनर्विलोकन करने का सरकार का इरादा है ?

श्री दातार : हम इस मामले में पूछताछ करेंगे ।

सोने का चौर्यानयन

*६३५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय नागरिकों की संख्या जिन पर क्रमशः सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में भारत में सोने का चौर्यानयन करने का आरोप सिद्ध हुआ ;

(ख) इसीलिये सिद्धदोष विदेशियों की संख्या ; तथा

(ग) उन प्रमुख देशों के नाम जिन से भारत में सोने का चौर्यानयन हुआ ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख) । वांछित जानकारी इस प्रकार है :

वर्ष	भारतीय नागरिक	विदेशीय
१९५०	७	५२
१९५१	५७	८१
१९५२ (अक्तूबर १९५२ तक)	१३	१५

(ग) इस अवधि में प्रमुखतः ईरानी आखात क्षेत्र, भारत के फ्रान्सीसी तथा पोर्तुगीज उपनिवेश, दूर पूर्व, पूर्वीय अफ्रीका तथा कुछ भूमध्य सागरीय देशों से भारत में सोने का चौर्यानयन हुआ ।

श्री के० के० बसु : क्या हम जान सकते हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस सोने के मामले की चर्चा सदन में बारंबार होती आई है । अगला प्रश्न ।

अनुपयुक्त भंडार

*६३६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि प्रतिवर्ष युद्ध सामग्री के मूल्यवान भंडार जिन में ऊंचे दर्जे का इस्पात तथा अन्य धातु होती हैं, अनुपयुक्त घोषित कर सागर में फैंक दिये जाते हैं ; तथा

(ख) सन् १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में इस प्रकार फैंके तथा नष्ट किये गये भंडारों की राशि तथा मूल्य ?

रक्षा उपमंत्री (श्री मजीठिया) : (क) जी नहीं । जो गोलाबारूद भंडार में रखने में अथवा जिस में लगी हुई धातुयें निकालने में बहुत ज्यादा धोखा होता है केवल वही गोला-बारूद सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जाने पर सागर में फैंक कर नष्ट की जाती है क्योंकि उसका निबटारा करने का न्यूनतम खर्चे का मार्ग यही होता है ।

(ख) प्रश्न उठता नहीं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सामग्री सागर में फैंक देने के बजाय नीलाम द्वारा बेची क्यों नहीं जाती है ?

सरदार मजीठिया : मैं बता चुका हूं कि जब वह सामग्री भंडार में रखने में धोखा होता है तथा जब उसके निबटारे का न्यूनतम खर्चे का मार्ग यही होता है तभी वह सागर में फैंक दी जाती है ।

विनिमय नियंत्रण विनियम

*६३७. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस अथवा जिन राष्ट्रों से व्यापार की परिस्थिति विशेष होने के कारण उन के बारे में भारत सरकार ने विनिमय नियंत्रण विनियम

किस प्रकार शिथिल अथवा परिवर्तित कर दिये हैं ?

(ख) ये विनिमय नियंत्रण विनियम भारत से विदेशों में जाने वाले यात्रियों पर कहां तक लागू होते हैं ?

(ग) ये विनियम कब तक जारी रखने का इरादा है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) किसी विशिष्ट देश के बारे में व्यापार की परिस्थिति विशेष होने के कारण विनिमय नियंत्रण विनियम शिथिल अथवा परिवर्तित नहीं कर दिये गये हैं।

(ख) भारत से विदेशों में जाने वाले यात्रियों पर लागू होने वाले विनिमय नियंत्रण विनियमों का विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २**]

(ग) जब तक हमारे विदेश-विनिमय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विनिमय नियंत्रण आवश्यक है तब तक ये विनियम जारी रहेंगे। विदेश विनिमय विनियम अधिनियम की अवधि ३१ दिसंबर, १९५७ तक है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन देशों से होने वाले व्यापार का सन्तुलन करने के लिये ही विनिमय नियंत्रण किया जाता है या इसके पीछे और भी कोई उद्देश्य है ?

श्री त्यागी : विदेशीय विनिमय के नियंत्रण के पीछे यही प्रमुख उद्देश्य है।

सरदार हुक्म सिंह : हमारे देश में विदेशीय पूंजी के अबाध प्रवाह पर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री त्यागी : जी नहीं। इन विनियमों के पीछे विदेशीय पूंजी को लाने का उद्देश्य नहीं है। विदेशीय विनिमय का अपव्यय रोकने के उद्देश्य से ये विनियम बनाये गये हैं।

सरदार हुक्म सिंह : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इनका हमारे देश मे विदेशीय पूंजी के अबाध प्रवाह पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री त्यागी : यदि इनका कोई प्रभाव पड़ा ही हो तो वह अन्य उपायों के साथ मिल कर पड़ा होगा। सब का मिल कर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा होगा ; किन्तु इसका अलग कोई नहीं।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि जब सोव्हियत प्रदर्शिनी के व्यवस्थापक कुछ चीजें भारत में बेचना चाहते थे तब उनको विदेशीय विनिमय की सुविधायें नहीं दी गईं ?

श्री त्यागी : मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र इस विषय में एक अलग प्रश्न पूछें। वस्तुतः जहां कहीं रूस का सम्बन्ध हो वहां ध्यान देना मेरा काम नहीं है। मैं उन बातों में ध्यान नहीं देता।

दक्षिण तथा आग्नेयी एशिया में शिल्पिक सहायता

*६३८. **श्री नानादास :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने कोलंबो योजना के दफ्तर से दक्षिण तथा आग्नेयी एशिया मे शिल्पिक सहायता के लिये कितनी प्रार्थनायें भेजी हैं ?

(ख) इन में से कितनी स्वीकृत हुईं तथा किन शर्तों पर ?

(ग) उपर्युक्त दफ्तर द्वारा भारतीय सरकार ने विभिन्न सुविधाओं के लिये कितनी प्रार्थनायें की गई हैं ; उन में से कितनी स्वीकृत हुई और किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा सचिव : (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग) तक। वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३**]

श्री नानादास : विवरण से पता चलता है कि हमने ७५ विशेषज्ञों के लिये प्रार्थना की थी। २० मामलों में वार्तालाप समाप्त हो चुका है और ५५ में अभी जारी है। इस में से २० विशेषज्ञ आ पहुंचे हैं। ये विशेषज्ञ किन देशों से आये हैं और कहां काम कर रहेहैं ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे भय है कि मैं यह जानकारी नहीं दे सकता। मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री नानादास : हमने ४५५ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधायें मिलने के लिये प्रार्थना की थी ; किन्तु केवल २७० को वे मिली हैं। इन २७० में से कितनों का प्रशिक्षण पूरा हुआ है और वे अब कहां काम कर रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे भय है कि मेरे पास वह जानकारी भी नहीं है।

श्री नानादास : उपर्युक्त दफ्तर के संचालक श्री विल्सन के वक्तव्य के अनुसार उनका दफ्तर प्रशिक्षण सुविधाओं की सारी मांगें पूरी कर सकता है। क्या भारत सरकार ने इस अवसर का लाभ उठा कर अपनी प्रशिक्षण विषयक सुविधाओं की मांगों पर जोर दिया है ?

श्री बी० आर० भगत : प्रशिक्षण सुविधायें तथा विशेषज्ञों के बारे में सारे वार्तालापों में उभय पक्षों पर दायित्व रहता है और मेरी राय में भारत सरकार ने अपने हितों का संरक्षण किया है और उसे सहयोग भी अच्छा मिला है।

रक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल

*६३९. **श्री रघवय्या :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार को अभिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं कि रक्षा सेवाओं को लोकोपयोगी सेवायें घोषित किया जाय ?

(ख) क्या श्रम मंत्रालय के अधिकारी रक्षा मंत्रालय से इस झगड़े का निबटारा करने के लिये भरसक कोशिश कर रहे हैं और यदि हैं, तो फल क्या निकला ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं।

(ख) यह पता नहीं कि माननीय सदस्य 'इस झगड़े' का अर्थ क्या करते हैं। यदि वे सर्वसाधारण झगड़ों की बात कर रहे हैं तो उनका निबटारा सीधे रक्षा मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके किया जाता है।

श्री रघवय्या : मुद्रणाधिकारी द्वारा एक प्रश्न मिटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बता दूं कि इस में कोई मुद्रण दोष नहीं है। जो यहां नहीं छपा है उसको सभापति द्वारा अनुमति नहीं दी गई है।

श्री रघवय्या : ऐसा हो तो मैं माननीय रक्षा मंत्री को बता देता हूं कि 'इस झगड़े' का अर्थ रक्षा सेवाओं के पूना के असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल है।

अध्यक्ष महोदय : पूना आर्डनैन्स डेपो के असैनिक कर्मचारी ? इसके बारे में उन्हों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। माननीय सदस्य वृत्तान्तों में देखें।

सरदार मजीठिया : प्रश्न संख्या २३१ का उत्तर सदन में दिया गया था।

विदेशीय शैक्षणिक विशेषज्ञ

*६४०. **श्री के० एस० राव :** क्या शिक्षा मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें कि यह दिया हो कि गत वर्ष भारत को कितने विदेशीय शैक्षणिक विशेषज्ञों ने भेंट दी, वे किन देशों के नागरिक

थ, उनकी अर्हतायें क्या थीं, उनकी भेंट का उद्देश्य क्या था, किसकी मार्फ़त वे आये थे, उनके लिये भारत सरकार ने कितना ख़र्च किया तथा उन्हों ने भारत में किये कार्य का प्रतिवेदन ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४**]

श्री के० एस० राव : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने विदेशों ने भारतीय शैक्षणिक विशेषज्ञों को बुलाया और कितने गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : अधिकतर छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध पारस्परिक आधार पर किया जाता है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इन व्यक्तियों के चुनने में क्या भारत सरकार को कोई अधिकार रहता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने जो अनेक विशेषज्ञ अभी काम कर रहे हैं उनकी उपयुक्तता के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये और एक विशेषज्ञों का जत्था बुलाने की उपयुक्तता पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

भारत में अध्ययन करने वाले विदेशीय विद्यार्थी

*६४१. **श्री के० एस० राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री एक विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें कि यह दिया गया हो कि अभी भारत में कितने विदेशीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, वे किन देशों के नागरिक हैं, वे किन केन्द्रों में अध्ययन कर रहे हैं, उन के विशेष अध्ययन के विषय, वे किसकी मार्फ़त भारत में आये हैं और क्या उनके बारे म भारत पर कोई वित्तीय दायित्व है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**पुस्तकालय में रख दिया, देखिये संख्या पी. ८३/५२**]

श्री के० एस० राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विद्यार्थियों में कुछ निग्रो भी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे विदित नहीं।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या ये विद्यार्थी उनके देशों द्वारा चुने जाते हैं अथवा हमारी सरकार का उस से कुछ सम्बन्ध है ?

श्री के० डी० मालवीय : विद्यार्थी उन के अपने देशों द्वारा चुने जाते हैं। उन्हीं का वह अधिकार है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशीय विद्यार्थियों को सुविधायें देने में भारत सरकार को ठीक कितना ख़र्च करना पड़ता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : इस स्टेटमेंट में ये तमाम डिटेल मौजूद हैं। अगर कोई देखे तो मालूम हो जायगा।

श्री के० के० बसु : क्या हम जान सकते हैं कि हमारे देश में चलने वाले इन अध्ययन दौरों के फलों के बारे में क्या हमारी सरकार के पास कोई जानकारी है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां। हम इन सारी बातों से परिचित रहा करते हैं।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या चीन से भी कुछ विद्यार्थी आये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं नहीं समझता कि कोई आया हो।

श्री रघवय्या : खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : अब वे कोई सुझाव न करें। यह जानकारी उन्हें मिल चुकी है कि चीन से कोई विद्यार्थी नहीं आया है।

खड़कपुर तथा कलाई कुण्ड में पानी की समस्याएं

*६४२. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के भूतत्वीय परिमाप के पूर्वीय विभाग द्वारा ज़िला मिदनापुर (पश्चिमी बंगाल) के खड़कपुर तथा कलाई कुण्ड की जल समस्याओं के अध्ययन कितनी बार तथा कब किये गये ?

(ख) इन अध्ययनों का नतीजा क्या निकला ?

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा क्या कार्यवाही करने का उसका इरादा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) तक। वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५**]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि ये अध्ययन परिमाप विभाग की प्रेरणा से प्रवृत्त किये गये थे अथवा पश्चिमी बंगाल की सरकार की प्रार्थना पर ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे विदित नहीं कि ये अध्ययन आरम्भ कैसे हुए किन्तु भारत की भूतत्वीय परिमाप के इंजीनियरिंग तथा भूतत्वीय विभागों द्वारा यह काम चलाया गया।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ज़िला मिदनापुर के अन्य किसी विभाग में अभी या भविष्य में कोई अन्य अध्ययन प्रवृत्त करने का इरादा है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय तो ऐसा कोई कार्यक्रम हमारे सामने नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाया है।

दिल्ली ग्रेन सिंडीकेट

*६४३. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **गृहकार्य** मंत्री दिल्ली ग्रेन सिंडीकेट के कारोबार की जो जांच अभी जारी है उसके बारे में एक विवरण प्रस्तुत करेंगे ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६**]

श्री तुषार चटर्जी : विवरण में बताया गया है कि सरकार ने विशेष जांच के फलस्वरूप सिंडीकेट के कारोबार का संचालन अपने हाथ में लिया है। मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रतिवेदन सदन के सदस्यों के उपयोग के लिये प्रकाशित किया जा सकता है ?

श्री दातार : इस सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि सिंडीकेट ने आय कर विभाग के ८ लाख रुपये नहीं चुकाये हैं ; और यदि पता है, तो इस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दातार : असैनिक रसद विभाग के संचालक के दफ्तर से कुछ अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और इस दिल्ली सिंडीकेट के कारोबार के बारे में प्रतिवेदन मांगा गया है। दंड विधि के अधीन कोई अपराध हुआ है या नहीं इसकी जांच करने के लिये यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया है।

श्री तुषार चटर्जी : पुलिस द्वारा जांच के बारे में मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि गिरफ्तारी के पूर्वज्ञान के कारण उक्त सिंडीकेट के सभापति ने ज़मानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की और ज़िला दंडाधिकारी द्वारा ज़मानत मंजूर भी की गई ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह न्यायिक कार्यवाही का प्रश्न था ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या सरकार द्वारा ग्रेन सिंडीकेट को कोई ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी थी ?

श्री दातार : मुझे विदित नहीं, किन्तु जितना धन अतिरिक्त लिया गया था वह लौटाया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार ने सिंडीकेट द्वारा निकाले गये क़र्ज़ वापस देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है ?

श्री दातार : ऐसे किसी दायित्व को स्वीकार नहीं किया गया है ।

निवृत्ति वयस्

*६४४. **कुमारी ऑनी मस्करीन** : (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भाग (ख) तथा भाग (क) राज्यों में केन्द्रीय अधिकारियों की निवृत्ति वयस् क्या है ?

(ख) इस अन्तर का कारण क्या है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की अनिवार्य निवृत्ति की वयस्, चाहे वे भाग (क) राज्यों में हों या भाग (ख) राज्यों में, मूलभूत नियम ५६ के उपबन्धों के अनुसार विनियमित होता है । अन्तर इतना ही है कि उन अनुसचिवीय कर्मचारियों को जो ३१ मार्च १९३८ को स्थायी सरकारी नौकरी में थे, मूलभत नियम ५६ (ख) (१) के अधीन मिलने वाला संरक्षण भाग (ख) राज्यों से लिये गये कर्मचारियों को नहीं मिलता । लेकिन ऐसे कर्मचारियों को विकल्प दिया गया है कि विलीनीकरण के पूर्व की शर्तों तथा निबन्धनों पर वे नौकरी जारी रख सकते हैं ।

(ख) मूलभूत नियम ५६ (ख) (१) के अधीन जो संरक्षण दिया गया है वह कर्मचारियों के केवल उसी सीमित श्रेणी पय लागू करने का इरादा है जो १ अप्रैल १९३८ के पहले प्रचलित अधिक उदार उपबन्धों के अनुसार विनियमित था ।

कुमारी ऑनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या न्यायालय में सरकार के विरुद्ध व्यवहारवाद लाने की अनुज्ञा मांगने वाली कोई याचिका सरकार को प्राप्त हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इसको अनुज्ञा नहीं मिल सकेगी । न्यायालय तो खुले ही हैं ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, प्रश्न यह है कि क्या अनुज्ञा के लिये प्रार्थना की गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुज्ञा देने के लिए सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न है । इसका मतलब यही होता है । और मेरी राय में, प्रशासन में हस्तक्षेप करना अनुचित है जब तक कोई अत्यन्त असाधारण परिस्थिति खड़ी नहीं होती ।

श्री नम्बियार : अनुज्ञा नहीं दी गई । अब वे व्यवहारवाद नहीं ला सकते ह ।

अध्यक्ष महोदय : कोई चिंता नहीं । वे अपने कृत्यों के परिणाम भोगेंगे । हमनें संसद् में प्रश्न उठाकर सरकार को न्यायिक कार्यवाही के लिये अनुज्ञा देने पर विवश करना उचित नहीं है जब कि वह वैसा करना इष्ट नहीं समझती । यह जानकारी पूछना नहीं है । यह अप्रत्यक्ष रूप में कोई चीज़ कराने के लिये दबाव डालना है ।

कुमारी ऑनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार से उपचारों की मांग करने वाली कोई याचिका सरकार को प्राप्त हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

कुमारी ऑनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या भाग (ख) राज्यों के बारे में अपनी सापत्न नीति में परिवर्तन करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे कुछ राज्य हैं जहां निवृत्ति वयस् के नियमों में संशोधन हुए हैं और यदि हैं, तो उन कर्मचारियों का क्या होगा जो इन संशोधित नियमों के अमल में आने के पहिले नियुक्त किये गए थे ?

डा० काटजू : मुझे किसी संशोधन का पता नहीं । मैं पहिली ही बार यह सुन रहा हूं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं उन मामलों की संख्या जान सकता हूं जहां मूलभूत नियम ५६ को अपवाद किये गए और जहां अनिवार्य निवृत्ति के वर्ष के बाद भी केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ा दिया गया ?

डा० काटजू : अभी मेरे पास वे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

काबो घाटी

*६४५. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) काबो घाटी भारत को वापस मिलने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि बर्मा की सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति धन का भुगतान बन्द हो जाने पर काबो घाटी मणिपुर को वापस मिल जायगी ; तथा

(ग) क्या बर्मा की सरकार मणिपुर की सरकार को अब भी क्षतिपूर्ति अनुदान दे रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग) तक । सन् १८३८ में ब्रिटिश सरकार द्वारा बर्मा के राजा को काबो घाटी वापस देने का निश्चय किया गया । इसके कारण मणिपुर के राजा की भूमि की जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसको प्रति मास ५०० रुपये सिक्का देने का दायित्व ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया जिसका हिसाब प्रतिवर्ष ६२७० रुपये होता है । जब बर्मा विभक्त हुआ तो इस क्षतिपूर्ति का दायित्व बर्मा की सरकार पर पड़ा । सन्तान्तर के बाद बर्मा की सरकार यह धन भारत सरकार को देती रही जो आगे चल कर वह धन मणिपुर दरबार को सौंप देती थी । मणिपुर राज्य भारतीय संघ में विलीन होने के बाद मणिपुर राज्य की आमदनी भारत सरकार की आमदनी बन गई । जो धन बर्मा की सरकार अभी भी दे रही है वह अब प्रति वर्ष केन्द्रीय राजस्व में जमा होता है । कोबा घाटी अब बर्मा का अविच्छिन्न अंग बन गई है और बर्मा की सरकार को उसे भारत को लौटा देने के लिए कहने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७, के पारण के बाद मणिपुर के महाराजा ने भारत सरकार से काबो घाटी मणिपुर को वापस देने के लिए प्रार्थना की थी ; और यदि की थी तो उसके बारे में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डा० काटजू : उन्होंने कुछ अभिवेदन पेश किये किंतु तब भारत सरकार ने सोचा कि उनकी मांग का आधार बहुत दुर्बल ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह क्षेत्र बर्मा को सौंपने के समय कुछ शर्तें तथा निबन्धन लगाये गये थे ?

डा० काटजू : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि यह घटना सन् १८३४ में हुई, अर्थात् लगभग ११८ वर्षों के पूर्व । शर्त यही थी कि प्रति मास ५०० सिक्कों का भुगतान करना जिसकी कीमत आज प्रति वर्ष ६००० रुपयों से अधिक होती है। बर्मा की सरकार यह भुगतान कर रही है ।

ब्रिटिश स्वामित्व वाले पटसन के कारखाने पर राष्ट्रीय ध्वज

*६४६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान उस पत्र-वार्ता की ओर आकर्षित किया गया है कि जगत्दाल (पश्चिमी बंगाल) के ब्रिटिश स्वामित्व वाले पटसन के कारखाने के व्यवस्थापक ने दिनांक १५ अगस्त, १९५२, को श्रमिकों द्वारा फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज उतारने की आज्ञा दी ; तथा

(ख) क्या उस आरोप के बारे में कोई कार्यवाही की गई है कि जिस विदेश-प्रशिक्षित ओवरसीयर ने इस आज्ञा को नहीं माना उसका नौकरी का क़रार समाप्त कर दिया गया है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : हां। यह घटना गत स्वातंत्र्य-दिन अवसर पर नहीं हुई किंतु उसके एक दिन पहिले ।

वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक १४ अगस्त, १९५२, की सायंकाल में जगत्दाल (२४ परगना) के एंग्लो-इंडीयन मिड्ल मिल के कताई विभाग में एक कताई के ढांचे पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था । वह ध्वज देखन पर उप-व्यवस्थापक ने कहा बताया जाता है कि विभाग के अन्दर और वह भी निश्चित दिवस के एक दिन पहिले राष्ट्रध्वज फहराना विलक्षण है । उस पर झगड़ा खड़ा हुआ और बाद की गड़बड़ी में ध्वज लुप्त हो गया । यह साबित न हो सका कि ध्वज वास्तविक किस ने उठाया । कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उप-व्यवस्थापक ने ध्वज उठाया है । उप-व्यवस्थापक ने इस आरोप का बलपूर्वक विरोध किया । उप-व्यवस्थापक ने इस घटना के विषय में क्षमायाचना की ताकि इस मामले के बारे में कोई गलत फ़हमी न रह जाए । इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हुआ । कारखाने की ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्सव दिनांक १५ अगस्त, १९५२ को फुटबाल मैदान पर उचित ढंग से मनाया गया ।

(ख) संबंधित कर्मचारी की सेवाएं कार्यकुशलता के अभाव के कारण कंपनी द्वारा ८ अगस्त, १९५२ को नियुक्ति की शर्तों के अनुसार लिखित पूर्वसूचना देकर समाप्त कर दी गईं । अत: १४ अगस्त ध्वज प्रकरण से इसका कोई संबंध नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या माननीय मंत्री यह अस्वीकार करते हैं कि इस घटना के फलस्वरूप कारखाने के कर्मचारियों में बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था क्योंकि उन्होंने इसको अपने राष्ट्रीय ध्वज का निश्चित अपमान समझा ?

श्री दातार : दिनांक १४ को काफ़ी तनाव था किंतु दिनांक १५ को नहीं ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या उस भारतीय ओवरसीयर की नौकरी.....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । अब इस बात का पीछा करने में क्या लाभ है जब कि यह बताया गया है कि उप-व्यवस्थापक ने क्षमायाचना की तथा प्रकरण इस प्रकार समाप्त हुआ ?

श्री नम्बियार: ओवरसीयर की सेवाऐं कार्यकुशलता के अभाव के आधार पर समाप्त कर दी गईं जब कि ध्वज प्रकरण खौल रहा था। इसलिए इस प्रश्न का पीछा करना.....

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य इसके लिए स्वतंत्र प्रश्न पूछें। हमको विषयों का मिश्रण नहीं करना चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी: मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के अनुसार सरकारी जानकारी यह है कि संबंधित कर्मचारी के पद से हटाये जाने के कारण अन्य थे किंतु माननीय मंत्री ने जो बताया है उसके अनुसार.....

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति। यह तो तर्क तथा अनुमान की बात है। इसके लिए वे स्वतंत्र प्रश्न पूछें।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या मैं जान सकता हूं कि कर्मचारियों की उतनी ही संख्या.....

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति। हमको अब अगला प्रश्न लेना चाहिए।

इस प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न पूछने में सदन का समय खर्च करने से कोई लाभ नहीं।

श्री मेघनाद साहा: यह प्रश्न अति गंभीर है, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब अगला प्रश्न लेता हूं। अन्य प्रश्नों के बारे में भी हमको कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

भाग (ख) राज्यों को वित्तीय तथा शिल्पिक सहायता

*६४८. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भाग (ख) के राज्यों तथा गणराज्य में सम्मिलित अन्य संघों को वित्तीय मामलों में केन्द्र के साथ संयुक्त करते समय किये गये क़रारों के अधीन दिये गये आश्वासनों के बारे में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): सौराष्ट्र, मध्य भारत, राजस्थान तथा पटियाला एवं पूर्वीय पंजाब राज्य संघ से किये गये क़रारों में एक उपबन्ध यह है कि इन राज्यों को उनकी पिछड़ी हुई हालत सुधारने के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिये अधिकृत जांच जारी होने तक सरकार द्वारा इन राज्यों को कुल ३ करोड़ रुपयों के तदर्थ सहायक अनुदान दिये जा रहे हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय गणराज्य में विलीन हुई रियासतों का सब का वित्तीय संयुक्तीकरण पूरा हो चुका है?

डा० काटजू: जहां तक इन चार रियासतों का संबंध है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जान सकता हूं कि क्या हैदराबाद का भी वित्तीय संयुक्तीकरण हो गया है?

डा० काटजू: क्या मैं आदरपूर्वक निवेदन करूं कि माननीय सदस्य द्वारा मुझे उन राज्यों के बारे में पूछा गया था जिनको कोई आश्वासन दिया गया था। जहां तक मुझे स्मरण है, हैदराबाद को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

सेठ अचल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह स्टेट कोई सालाना रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजती है?

डा० काटजू: अनुमोदित योजनाओं के लिए ही सहायता दी जाती है और उचित समय मामला केन्द्रीय सरकार के सामने आता ही है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा कुछ भाग (ख) राज्यों के बीच हुए करार में कोई संशोधन होगा ? विशेषत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र तथा मैसूर राज्य के बीच हुए करार में कोई संशोधन होगा , क्योंकि वह क़रार.....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मेरी राय में यह प्रश्न मुख्य प्रश्न की व्याप्ति से परे है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या वह करार...

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं । किंतु मुख्य प्रश्न केवल उन राज्यों के बारे में है जिन्हें किसी आश्वासन के अनुसार कोई सहायता दी जा रही थी ।

श्री जी० डी० सोमानी : माननीय मंत्री द्वारा बताया गया कि जांच जारी होने तक कुछ सहायक अनुदान दिये जा रहे हैं । क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह जांच अभी तक क्यों नहीं जारी हुई तथा वह कब जारी करने का भारत सरकार का इरादा है ?

डा० काटजू : हम वित्त आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही इस मामले पर शीघ्र तथा उचित विचार किया जाएगा ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या मैं जान सकता हूं कि हैदराबाद द्वारा इसी प्रकार के अतिरिक्त अनुदानों के लिए प्रार्थना की गई है ?

डा० काटजू : मुझे मालूम नहीं ।

भारत में विदेशी नागरिक

*६४९. **श्री अच्युतन** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी नागरिकों की (दूतावास कर्मचारियों तथा सरकारी नौकरी करने वाले विदेशी अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के अलावा) कुल संख्या कितनी है और उसमें प्रत्येक राष्ट्र का अंश कितना है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५१ को भारत में रहने वाले पंजीबद्ध विदेशी नागरिकों की संख्या बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७**]

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में ये लोग किन प्रमुख धन्धों में लगे हुए हैं ?

श्री दातार : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री अच्युतन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन विदेशी नागरिकों पर क्या कुछ निर्बन्धन हैं और यदि हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्बधनों की तुलना में वे कैसे ठहरते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह प्रश्न कैसे उठ सकता है जब कि उन्हें उनके धन्धों के बारे में जानकारी नहीं है ।

श्री अच्युतन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस विषय में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की है ?

श्री पी० टी० चाको : क्या इन में से कुछ सामाजिक सेवा में लगे हैं और यदि हैं, तो कितने ?

श्री दातार : वस्तुत: उनमें से अनेक लोग सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं किंतु निश्चित आंकड़े यहां मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री अच्युतन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उनमें से कुछों ने नागरिकता बदलने

तथा भारतीय नागरिक बनने के लिये प्रार्थनाऐं की हैं ?

श्री दातार : मुझे विदित नहीं, श्रीमान् ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या हम जान सकते हैं कि सरकारी नौकरी में अथवा अन्यत्र कुल कितने विदेशी विशेषज्ञ हैं ?

श्री दातार : यह जानकारी तुरन्त देना संभव नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को पता है कि विदेशी व्यापार-संस्थाओं ने विदेशी नागरिकों का आयात अत्यधिक बढ़ा दिया है ?

श्री दातार : हमें विदित नहीं ।

त्रिपुरा में प्राथमिक पाठशालाएं

*६५०. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा की कितनी प्राथमिक पाठशालाओं ने इस वर्ष सरकारी सहायता के लिए प्रार्थना की है ?

(ख) गत वर्ष के आयव्ययक में शिक्षा के लिए कितना पैसा रखा गया था और उसमें से कितना पैसा खर्च न होने के कारण लौटा दिया गया ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को मासिक वेतन पाने के लिए विभागीय शहरों में जाना पड़ता है और वेतन प्रपत्र खरीदने के लिए उन्हें प्रति-मास १ रु० खर्च करना पड़ता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) ३६ ।

(ख) १९५१-५२ के आयव्ययक में शिक्षा के लिए १२,१५,९२० रुपये रखे गए थे जिनमें से ६१,२४० रुपये लौटा दिये गये ।

(ग) प्रत्येक प्राथमिक पाठशाला के एक प्राधिकृत अध्यापक को पाठशाला के कर्मचारीवृंद का वेतन लेने के लिए सरकारी खजाने/उप-खजाने में आना पड़ता है । उनको वेतन प्रपत्र खरीदने नहीं पड़ते हैं जो संबंधित विभागीय तथा उपविभागीय दफ्तरों से बिना मूल्य मिलते हैं ।

श्री दशरथ देव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष कितनी प्राथमिक पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिला है और इस अनुदान का स्वरूप क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : ३६ प्रार्थी पाठशालाओं में से २१ पाठशालाऐं सहायक अनुदान प्राप्ति के योग्य प्रगट हुईं । शेष १५ मामले अभी विचाराधीन हैं । मैं अभी आपको दान का स्वरूप बताने के लिए असमर्थ हूं ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : वह एक दीर्घ सूची है ।

श्री दशरथ देव : क्या आयव्ययक में शिक्षा का अंश बढ़ाने का सरकार का इरादा है ?

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अतिरिक्त अनुदान देने का सरकार का इरादा है ।

श्री के० डी० मालवीय : सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री दशरथ देव : क्या स्थानीय डाकखानों द्वारा वेतन का भुगतान कर देहाती क्षेत्रों के प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को सुविधा देने का सरकार का इरादा है ?

श्री के० डी० मालवीय: प्राथमिक पाठशालाओं तथा डाकखानों के बीच के अन्तर इतने अधिक हैं कि डाकखानों द्वारा

वेतन भेजना उनके लिये बहुत असुविधाजनक होगा ।

त्रिपुरा का क्षेत्र

*६५१. **श्री दशरथ देव** : क्या **राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा का कितना क्षेत्र सरकार द्वारा रक्षित है तथा कितने क्षेत्र पर चाय बागान मालिकों का अधिकार है ;

(ख) क्या कोई सरकारी रक्षित ज़मीन **अथवा** चाय बागान मालिकों की ज़मीन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दी गई है और यदि है, तो एकड़ों में उसका कुल क्षेत्रफल कितना है ; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि पुनर्वास विभाग द्वारा कुछ रक्षित ज़मीन की मांग की गई थी और सरकार ने वह अस्वीकार की ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) त्रिपुरा में सरकार द्वारा रक्षित जंगल का क्षेत्रफल १०२० वर्ग मील है तथा चाय बागानों के अधिकाराधीन ज़मीन का क्षेत्रफल ८५ वर्ग मील है ।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दी गई सरकारी रक्षित ज़मीन का क्षेत्रफल ६३१९ एकड़ है । चाय बागानों की कोई ज़मीन पुनर्वास के लिए नहीं दी गई ।

(ग) राज्य के पुनर्वास विभाग द्वारा तुलकोना के ईंधन के लिये रक्षित जंगल से ज़मीन देने की प्रार्थना की गई थी । वह स्वीकार नहीं की गई क्योंकि वैसा करने से अगरताला के ईंधन की रसद पर गहरा असर पड़ेगा । क्योंकि अगरताला शहर के लिये वही एक ईंधन का स्रोत है ।

श्री दशरथ देव : मैं जान सकता हूं कि क्या रक्षित ज़मीन का क्षेत्र किसी परिमाप के आधार पर निर्धारित किया गया था या नहीं ?

डा० काटजू : मैं कह नहीं सकता ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि विस्थापित व्यक्तियों को दी गई ज़मीन उस काम के लिये पर्याप्त है जब कि विस्थापित व्यक्तियों की संख्या २,५०,००० है ?

डा० काटजू : मैंने उपलब्ध जानकारी सदन के सामने पेश की है । मैं अगले सप्ताह त्रिपुरा जाने का इरादा कर रहा हूं और उसी स्थान पर इस प्रश्न की छानबीन करूंगा ।

श्री दशरथ देव : क्या चाय बागानों के मालिकों से अधिगृहीत ज़मीन चाय बागानों के श्रमिकों में खेती के लिए वितरित करने का सरकार का इरादा है ?

डा० काटजू : आपने विस्थापित व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा था । अब आप चाय बागानों के श्रमिकों का निर्देश कर रहे हैं । मुझे भय है कि मैं आपको तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को सभापति से निवेदन करना चाहिये ।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारी

*६५२. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ कौन कौन से हैं जिन्हें मान्यता दी गई है ?

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों के ऐसे भी कुछ संघ हैं जिनकी मान्यता के लिये की गई प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की गईं और यदि हैं, तो उनकी संख्या क्या है ?

(ग) क्या भारत सरकार को उक्त कर्मचारियों से अथवा उनके संघों से वेतन का बकाया, कार्मिक संघों के पदाधिकारियों

को झौड़ा, साप्ताहिक छट्टी के नियमों का अतिक्रमण, शनिवार का आधा दिन, आदि बारों में शिकायत करने वाले अभिवेदन प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) (१) मद्रास क्षेत्र एम० इ० एस० असैनिक कर्मचारी संघ ; (२) एम० ई० एस० कर्मचारी संघ, दक्षिण क्षेत्र सिकन्दराबाद ; (३) इंजीनियरिंग स्टोर्स डीपो कर्मचारी संघ, बम्बई ; (४) एम० ई० एस० कर्मचारी संघ, पूना क्षेत्र, पूना ; (५) एम० ई० एस० श्रमिक संघ, बरेली विभाग, बरेली ।

(ख) निम्न लिखित दो संघो द्वारा मान्यता के लिए भेजे गए प्रार्थना पत्रों पर सरकार अभी विचार कर रही है :

(१) एम० ई० एस० श्रमिक संघ (क्षेत्र समिति), अंबाला।

(२) एम० ई० एस० राष्ट्रीय मज़दूर संघ, पूना ।

(ग) हां । आवश्यकता के अनुसार उचित कार्यवाही की गई तथा जहां आवश्यकता थी वहां शिकायतें दूर की गईं ।

श्री तुषार चटर्जी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि एम० ई० एस० श्रमिक संघ, आगरा, नामक संघ से मान्यता के लिए आये हुए प्रार्थनापत्र पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है और यदि है, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

सरदार मजीठिया: जी नहीं । ऐसे केवल दो संघ हैं जिनकी मान्यता के बारे में अभी विचार हो रहा है—एम० ई० एस० श्रमिक संघ, अम्बाला, तथा एम० ई० एस० राष्ट्रीय मज़दूर संघ, पूना ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या अखिल भारतीय एम० ई० एस० श्रमिक संघ को जिसने सन् १९४८ से मान्यता के लिए प्रार्थना की है, अभी मान्यता नहीं प्राप्त हुई है और यदि नहीं हुई है तो क्यों ?

सरदार मजीठिया : मुझे विदित नहीं है ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कल्यानवाला समिति का प्रतिवेन सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के फल-स्वरूप एम० ई० एस० श्रमिकों की शिकायतें नहीं दूर की गईं ?

सरदार मजीठिया : जैसे कि मैंने कहा है, जहां जहां आवश्यकता थी वहां शिकायतें दूर की गई हैं, श्रीमान् ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कल्यानवाला समिति की सिपारिशों पर अमल करने जा रही है, क्योंकि यह कहा गया है कि शिकायतें...

अध्यक्ष महोदय: वह एक अच्छा कारण हो सकता है; किंतु मुझे भय है कि माननीय मंत्री इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं । प्रश्न के साथ इसका बहुत दूर का संबंध है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: 'आवश्यक का अर्थ क्या है ? वे कहते हैं कि आवश्यकता होने पर शिकायतें दूर की जाती हैं । मैं समझता हूं कि समर्थनीय होने पर वे दूर करनी चाहियें ।

श्री तुषार चटर्जी: क्या मैं जान सकता हूं कि जो संघ उचित ढंग से पंजी-बद्ध हुआ है किंतु जिसको अभी अधिकृत मान्यता नहीं मिली है उसकी विश्वसनीयता सरकार द्वारा किस हद तक स्वीकार की गई है ?

सरदार मजीठिया: श्रीमान्, विश्वसनीयता के बारे में, प्रत्येक मामला अपने अपने गुणों पर परखा जाता है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

बुनाई के कारखानों में उत्पादन शुल्क अधिकारी

*६५३. **श्री एस० वी० रामास्वामी**: (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में बुनाई के अधिकारी कितने हैं ?

(ख) क्या प्रत्येक कारखाने में उत्पादन शुल्क का दफ्तर रखा गया है ?

(ग) ऐसे दफ्तर के लिए कितना खर्च पड़ता है ?

(घ) क्या प्रत्येक कारखाने को उत्पादन शुल्क दफ्तर के कर्मचारियों के लिए गृहों का प्रबन्ध भी करना चाहिये ?

(ङ) प्रत्येक कारखाने से मिलने वाला उत्पादन शुल्क तथा संबंधित दफ्तर पर होने वाला खर्च इनके बीच क्या प्रमाण है ?

(च) क्या राज्यों की सरकारें बिक्री कर की वसूली के लिये प्रत्येक कारखाने में कोई दफ्तर रखती हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): (क) मद्रास राज्य में बुनाई के २१ कारखाने हैं ।

(ख) प्रत्येक कारखाने में एक उत्पादन निरीक्षक और उसकी सहायता के लिये छोटा सा कर्मचारी वृन्द रखा गया है ।

(ग) प्रत्येक कारखाने में स्थित ऐसे दफ्तर का औसत खर्च प्रति वर्ष लगभग ७५०० रुपये है ।

(घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४, के अनुसार उन वस्तुओं के उत्पादक को जिन पर उत्पादन शुल्क लगाया जा सकता है, कारखाने में निरीक्षण करने वाले अधिकारी के रहने के लिए उचित गृह का प्रबन्ध करना चाहिए जिसका किराया उक्त अधिकारी के वेतन के १० प्रति शत से अधिक न हो ।

(ङ) दफ्तर के खर्च का प्रमाण अलग अलग कारखाने में अलग अलग होता है और कारखाने में उत्पन्न होने वाले कपड़े की जाति तथा राशि पर निर्भर रहता है ।

(च) भारत सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं ।

श्री एस० वी० रामास्वामी: क्या प्रत्येक कारखाने से वसूल किये गए बिक्री कर पर यह आधारित नहीं किया जा सकता ?

श्री त्यागी: क्या मेरे माननीय मित्र यह सुझाव करना चाहते हैं कि वसूल किये गए बिक्री कर पर कर्मचारीवृंद की संख्या आधारित की जानी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जेल सुधार

*६३२. **श्री यू० सी० पटनायक**: क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जेल सुधार के विषय में मंत्रणा देने के लिए डा० वाल्टर सी० रेकलेस की सेवाऐं अधिगृहित की गई हैं ;

(ख) यदि हैं, तो क्या डा० रेकलेस द्वारा इस विषय पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ; तथा

(ग) यदि है, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने का सरकार का इरादा है ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (ग) तक । मैं माननीय सदस्य का

ध्यान आज प्रश्न संख्या ६२६ को दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

असैनिक रक्षा संगठन

*६३३. **श्री यू० सी० पटनायक** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि गत युद्ध के काल में देशभर में एक नियमित असैनिक रक्षा संगठन काम कर रहा था ?

(ख) यह संगठन कब तोड़ दिया गया ?

(ग) क्या इस संगठन के पुनर्जीवन के प्रश्न पर विचार किया गया है ?

(घ) यदि है, तो यह नया संगठन कब आरम्भ होने की संभावना है ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) सन् १९४५ में ।

(ग) तथा (घ) । सरकार नहीं समझती कि ऐसा संगठन अभी आवश्यक है ।

श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के पद

*६४७. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के सचिवालय में सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में मंजूर किये गये तथा प्रत्यक्ष धारण किये गए श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के पदों की संख्या क्या है ?

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने पद अस्थायी, स्थायीवत् तथा स्थायी हैं ?

(ग) उपर्युक्त वर्षों में कौन कौन से विभाग नए से खोले गये अथवा बन्द कर दिये गए ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख)। वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८**]

(ग) सन् १९४९-५० में संसदीय कार्य विभाग का निर्माण हुआ । इस वर्ष में कोई विभाग बन्द नहीं किया गया ।

सन् १९५०-५१ में (१) उद्योग तथा रसद, (२) वाणिज्य, (३) निर्माण, खदान तथा विद्युत मंत्रालयों तथा (४) वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग की जगह (१) वाणिज्य तथा उद्योग, (२) निर्माण, उत्पादन तथा रसद और (३) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय गठित किये गए । इसी वर्ष में खाद्य तथा कृषि के अलग अलग मंत्रालयों के स्थान पर एक ही संयुक्त खाद्य तथा कृषि मंत्रालय बनाया गया ।

सन् १९५१-५२ में कोई मंत्रालय अथवा विभाग नये से नहीं खोला गया और न कोई बन्द कर दिया गया ।

इम्फाल में पैट्रोल

*६५४. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अक्तूबर १९५२ में इम्फाल शहर के किसी क्षेत्र में नल-कूप खोदते समय भूमिगत पेट्रोल का पता चला ;

(ख) यदि हां, तो यह पेट्रोल किस प्रकार का है तथा इस स्रोत की क्षमता क्या है ; तथा

(ग) क्या इस क्षेत्र की परिमाप तथा तेल के स्थान का आविष्कार करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) इम्फाल शहर में तेल मिलने की कोई

जानकारी भारत की भूतत्वीय परिमाप के अथवा मणिपुर की सरकार के पास नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

मणिपुर में बाढ़

*६५५. **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा मणिपुर में आने वाली बाढ़ों के वास्तविक कारणों का पता लगाने की कोई कोशिश की गई ?

(ख) मणिपुर में बाढ़ों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं अथवा निकट भविष्य में किये जाने वाले हैं ?

(ग) क्या इस वर्ष बाढ़ पीड़ित लोगों को लगान तथा करों में कोई छूट मिलेगी ?

गृहकाय तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां । सन् १९४७ में भारत सरकार द्वारा मणिपुर में बाढ़ संरक्षण, पुनर्ग्रहण, विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई की संभावनाऐं खोजने के लिये केन्द्रीय जल मार्ग, सिंचाई तथा नौवहन आयोग (अब केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग) का एक अधिकारी भेजा गया था । उक्त आयोग का एक अन्य अधिकारी भी हाल ही में इस राज्य को भेंट देकर आया ।

(ख) मणिपुर घाटी की इम्फाल इरिल तथा नम्बल नामक तीन प्रमुख नदियों के बांधों की मरम्मत करवाने के लिए गत वर्ष ३०,००० रुपयों की राशि मंजूर की गई थी । इसी काम पर इस वर्ष ४०,००० रुपयों की राशि खर्च होगी ।

(ग) हां । जिन खेतों की फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हुई उनके बारे में लगान में छूट दी गई ।

पहाड़ी लोग विनियम, १९४७

*६५६. **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मणिपुर के अग्रगण्य आदिमजाति संगठनों द्वारा अधिकृत नीति से हस्ताक्षरित अभिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पहाड़ी लोग विनियम, १९४७, के निरसन की मांग की गई है ?

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने उसके निरसन के लिए कोई कार्यवाही की है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) मणिपुर के कुछ आदिमजाति संगठनों से एक अभिवेदन मिला था जिसमें अन्य विषयों के साथ मणिपुर पहाड़ी लोग विनियम, १९४७, के संशोधन का सुझाव दिया था; न कि निरसन का ।

(ख) यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

नगर निधि समिति (इम्फाल)

*६५७. **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि इम्फाल की नगर निधि समिति मणिपुर की सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट कुछ थोड़े ही व्यक्तियों की बनी हुई है ?

(ख) समिति में पहाड़ी सदस्य कितने हैं ?

(ग) क्या निकट भविष्य में नगर निधि का क्षेत्र बढ़ाये जाने की संभावना है ?

(घ) क्या इम्फाल की नगर निधि समिति का लोकतंत्रीकरण करने का विचार हो रहा है और यदि है, तो लोकतंत्रीकरण कब होगा ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) इम्फाल की नगर निधि समिति में तीन सरकारी तथा चार गैर-सरकारी सदस्य हैं, अर्थात् राज्य कांग्रेस पक्ष, प्रजा शांति पक्ष, मणिपुर राष्ट्रीय वाणिज्य संघ तथा अ-मणिपुरी व्यापारियों का प्रत्येकी एक सदस्य है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है किन्तु इसका स्थानीय विरोध हो रहा है क्योंकि इससे नये क्षेत्रों पर करारोपण होगा ।

(घ) आसाम नगरपालिका अधिनियम, १९२३, मणिपुर को लागू कर दिया है । इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों के संचालन के तथा निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के नियम प्रकाशित हो रहे हैं । यह प्रारंभिक कार्य समाप्त हो जाने के बाद यथासमय निर्वाचक नामावलियां तैयार करके निर्वाचन का संचालन किया जायेगा ।

अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ को अनुदान

*६५८. **श्री कक्कन** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ को हरिजन कल्याण कार्य के लिए कोई इक्ट्ठा अनुदान दिया है ?

(ख) यदि हां तो उसकी राशि कितनी है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गेहूं का स्थानापन्न

*६५९. **श्री बी० एन० राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के स्थानापन्न अर्थात् गेहूं की जगह उपयोग में लाऐ जाने लायक वस्तु का आविश्कार करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां; तो उसका फल क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासियों की उन्नति

*६६०. **श्री डामर** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य भारत के आदिवासियों की उन्नति के लिए संघ सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी ; तथा

(ग) वह किन कार्यों पर व्यय की जायगी ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) मध्य भारत की सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन अनुसूचित आदिम-जातियों की स्थिति तथा अनुसूचित क्षेत्रों की उन्नति की विभिन्न योजनाओं के लिए ८,४६,००० रुपयों का अनुदान मांगा गया । ४,३६,००० रुपयों की राशी मंजूर की गई है । राज्य सरकार ने और भी कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं जिन पर ६,८८,००० रुपये खर्च करने पड़ेंगे । ये नई योजनाएं अभी विचाराधीन हैं ।

सन् १९५१–५२ में राज्य सरकार को ४ लाख रुपयों की राशि दी गई थी ।

(ग) विभिन्न योजनाएं तथा प्रत्येक के लिए मंजूर की गई राशि बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९ ।]**

किन्त निर्धारित राशियां अपरिवर्तनीय नहीं हैं और आवश्यकता होने पर बदली जा सकती हैं ।

सेराइखाल तथा खर्सवान का ओरिसा के साथ संयुक्तीकरण

*६६१. **श्री संगण्णा** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा सेराइखाल तथा खर्सवान का ओरिसा के साथ संयुक्तीकरण करने की सिफारिश करने वाले अक्तूबर १९५२ में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि भारत सरकार के पास भेजी गई है ; तथा

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हां हो, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का सरकार का इरादा है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार-प्रेरित कारखानों की लेखापरीक्षा

*६६२. **श्री नटेशन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार-प्रेरित कारखानों की लेखापरीक्षा किस प्रकार की जा रही है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रखदी जाएगी ।

निर्वाचन याचिकाएं

*६६३. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन उम्मीदवारों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं की संख्या ; तथा

(ख) अब तक उनमें से कितनी याचिकाओं का निपटारा हो चुका है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) तथा (ख) । २१ नवम्बर, १९५२ तक राज्य में ३२ निर्वाचित याचिकाएं दाखिल हुई हैं और उनमें से ३ का निपटारा हो चुका है ।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिए छात्रवृत्तियां

*६६४. **श्री बी० एस० मूर्ति**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अनुसूचित आदिम-जातियों को छात्रवृत्तियों के रूप से वितरित की गई राशि ;

(ख) छात्रवृत्तियां देते समय किन विषयों को अधिमान मिलता है ; तथा

(ग) छात्रवृत्तियों के अभ्यार्थियों की संख्या तथा मंजूर की गई छात्रवृत्तियों की संख्या ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) तक । सदन पटल पर रखे गए विवरण की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०।**]

हरिजन संसद् सदस्यों की नागपुर की सभा

*६६५. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के हरिजन सदस्यों की नागपुर की सभा में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के बारे में क्या कार्यवाही करने का सरकार का इरादा है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हैदराबाद को वित्तीय सहायता

*६६६. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय पुनर्व्यवस्था के फलस्वरूप हैदराबाद राज्य द्वारा उठायी गई राजस्व-हानि ;

(ख) केन्द्र द्वारा इस राज्य को दी जाने वाली सहायता की कुल वार्षिक राशि ; तथा

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार हैदराबाद सरकार की प्रार्थना के अनुसार सहायता की राशि बढ़ाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो कितनी ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) मैं मान लेता हूं कि हैदराबाद राज्य के केन्द्रीय सरकार के साथ वित्तीय संयुक्तीकरण का निर्देश किया जा रहा है । हिसाब लगाया है कि हैदराबाद राज्य को वित्तीय संयुक्तीकरण के फलस्वरूप होने वाली बचत जमा करने के बाद कुल १३५ लाख रुपयों की (हाली सिक्का) तत्काल वास्तविक राजस्व-हानि हुई है ।

(ख) १३५ लाख रुपए (हाली सिक्का) ।

(ग) १३५ लाख रुपयों का (हाली सिक्का) सहायक अनुदान हैदराबाद सरकार की सहमति से अन्तिम रूप में निर्धारित किया गया था और इस विषय में पुनर्विचार करने का इरादा नहीं है ।

जिला परिषदें (आसाम)

*६६७. **श्रीमती खोंगमन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि आसाम की सरकार द्वारा आसाम के सवायत्त ज़िलों की ज़िला-परिषदों के मुख्यालयों के निर्माण के लिए अनुदान मांगे गए थे ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति

*२२८. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस आधार पर विभिन्न राज्यों को पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए प्रति-वर्ष अनुदान दिये जाते हैं; तथा

(ख) इन अनुदानों में से कितना प्रतिशत क्रमशः केवल अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित आदिमजातियों के लिए और कितना उसी राज्य की अन्य आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए रखा गया है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) "पिछड़े हुए वर्गों" के नाम से तो राज्यों को कोई अनुदान नहीं दिया जाता । किन्तु संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन अनुसूचित आदिमजातियों का कल्याण तथा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रति वर्ष सहायक अनुदान दिये जाते हैं । आदिम-जातियों की लोकसंख्या, अनुसूचित आदिम-जातियों के पिछड़ेपन की मात्रा तथा राज्य का वित्तीय सामर्थ्य आदि बातों के आधार पर अनुदान दिये जाते हैं ।

(ख) ये अनुदान केवल अनुसूचित आदिमजातियों के लिए दिये जाते हैं चाहे वे जातियां अनुसूचित क्षेत्रों में रहती हों अथवा राज्य के अन्य विभागों में ।

उपाधियां मूल्यमापन समिति

२३०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा जो उपाधियां तथा पदवियां वितरित की जाती हैं उनका सरकारी नौकरी की दृष्टि से मूल्यमापन करने के लिए नियुक्त की गई समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है तथा क्या उस पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नतीजा क्या निकला; तथा

(ग) उन संस्थाओं की संख्या जिन की उपाधियों तथा पदवियों पर विचार किया गया और उनमें से सरकारी स्वीकृति के लिए सिपारिश की गई संस्थाओं की संख्या ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) हां।

(ख) सरकार द्वारा समिति की सारी सिपारिशों को स्वीकार किया गया है।

(ग) २५ निजी शिक्षणसंस्थाओं की उपाधियों तथा पदवियों पर समिति द्वारा विचार किया गया जिनमें से भारत सरकार की स्वीकृति के लिए ६ संस्थाओं की सिपारिश की गई।

दिल्ली में चोरियां आदि अपराध

२३१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या गृह कार्य मंत्री दिल्ली की नई बस्तियों में सन् १९५१ तथा १९५२ में हुई चोरियों, रात-चोरियों, डकैतियों तथा हत्याओं की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे :

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):

वर्ष	चोरियां	रात-चोरियां	डकैतियां	हत्याएं
१९५१	१५९	६८	..	५
१९५२ (११-१०-५२)	१२७	७३	..	१

आयात शुल्क से आने वाला राजस्व

२३२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार को ३१ मार्च १९५२ को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष में खनिज तेलों के (जिसमें पेट्रोल तथा पेट्रोलजन्य पदार्थ समाविष्ट हैं) भारत में आयात बिक्री पर लगाये गये आयात शुल्क तथा अन्य करों (यदि कोई हो) द्वारा कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या भारत सरकार से एसी कोई शिकायत की गई है कि राज्य सरकार के किसी कर का प्रभाव वास्तव में संक्रमण शुल्क के समान पड़ता है ; और यदि हो, तो भारत सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ; तथा

(ग) इस प्रकार के कराधानों की दर तथा प्रक्रिया में एकसूत्रता लाने के बारे में कुछ प्रस्ताव सरकार के सम्मुख पेश किये गए हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११**।]

(ख) अनुमानतः माननीय सदस्य बिक्री कर का उल्लेख कर रहे हैं। यदि हो तो उत्तर नकारात्मक है।

(ग) हां। ये प्रस्ताव मोटर वाहन जांच समिति के प्रतिवेदन के अंग हैं जो सदन के पुस्ताकालय में उपलब्ध है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अभी उन पर विचार कर रही हैं।

भारत का भूतत्वीय परिमाप

२३३. **श्री तेलकीकर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतत्वीय परिमाप के लिए बनाये गये छः विभागों में से किस विभाग में हैदराबाद राज्य का समावेश किया गया है ;

(ख) क्या विभागीय अधिकारियों ने वहां कोई परिमाप किया है ; तथा

(ग) यदि हो, तो क्या परिमाप का प्रतिवेदन उपलब्ध है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) तक। वांछित जानकारी

देने वाला विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]

मंत्रालयों के परामर्शदाता

२३४. **डा० एन० बी० खरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक मंत्रालय से परामर्शदाता के रूप से कितने अमरीकी अथवा अन्य विदेशी विशेषज्ञ संलग्न हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्रीत्यागी) : वांछित जानकारी देनेवाला विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३।**]

लवडेल तथा सोनावर के लारेन्स विद्यालय

२३५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में लवडल तथा सोनावर के लारेन्स विद्यालयों पर कितनी राशि **खर्च** हुई ?

शिक्षा प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४।**]

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
२५ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

११-४५ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : मैं केन्द्रीय आबकारी तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अनुसार निम्न अधिसूचनाओं की एक प्रति पटल पर रखना चाहता हूं :

(१) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या १२, दिनांक १९ जुलाई, १९५२ ।

(२) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या १३, दिनांक २ अगस्त, १९५२ ।

(३) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या १४, दिनांक २ अगस्त, १९५२ ।

(४) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या १५, दिनांक ९ अगस्त, १९५२ ।

(५) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या १६, दिनांक ९ अगस्त, १९५२ ।

(६) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना सख्या १७, दिनांक ९ अगस्त, १९५२ ।

(७) केन्द्रीय अधिकारी अधिसूचना संख्या १८, दिनांक ९ अगस्त, १९५२ ।

(८) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या १९, दिनांक १६ अगस्त, १९५२ ।

(९) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या २१, दिनांक २७ सितम्बर, १९५२ ।

(१०) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या २२, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५२ ।

(११) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या २३, दिनांक ६ अक्तूबर, १९५२ ।

(१२) केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या २४, दिनांक १८ अक्तूबर, १९५२ ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या** पी०—७९/५२]

भारतीय शक्ति सुषव (संशोधन) विधेयक—क्रमागत

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी भारतीय पावर अल्कोहल (शक्ति सुषव) (संशोधन) विधेयक के विचार-प्रस्ताव सम्बन्धी अपने पुरःस्थापन-भाषण को जारी रखेंगे ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी द्वारा यह बात उठाई गई थी कि इस विधेयक का खंड ४ संविधान के अनुच्छेद २० का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अधीन किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाया जा सकता है....

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : माननीय मंत्री एक ऐसी बात की वैधता या उपयुक्तता को ले रहे हैं, जिस सम्बन्ध में कुछ अन्य सदस्य कुछ अन्य आधार रखना चाहते हैं। क्या यह उचित न होगा कि सभी सदस्यों की बात सुनने के बाद वह इकट्ठा उत्तर दे दें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल सदन के स्थगन के समय बोल रहे थे। और श्री चटर्जी की बात पर मेरा अपना विचार है कि एसे विषय पर मतभेद हो सकता है, पर किसी का निर्णय तो अंतिम रूप से मानना ही होगा। बार-बार इस कार्यवाही को पढ़ने के बाद भी मैं श्री चटर्जी की बात को ठीक न समझ सका।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें, तो मैं एक निवेदन करूं कि मने महान्यायवादी से परामर्श किया है और अनुमति हो, तो मैं वह बात स्पष्ट कर दूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं ने द्वार बिल्कुल बन्द नहीं किया है, पर यदि कोई माननीय सदस्य कोई अत्यन्त आवश्यक बात न कहें, तो मेरी यह प्रतिक्रिया ही मेरा निर्णय मानी जाएगी।

शब्दों को काफी तोड़-मरोड़ करके यह तर्क रखा जा सकता है कि संसद् ने विधि द्वारा घोषणा नहीं की, बल्कि घोषणा स्वयं १९४८ के अधिनियम में ही उपबद्ध थी, अतः उक्त अधिनियम का वह उपबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के प्रभावी होने से पहले विधि विहित नहीं था, क्योंकि संविधान में संसद् की विधि द्वारा की गई घोषणा का उपबन्ध है। अतः जिन अधिकारियों ने उचित विधि के भरोसे कार्य किया होगा, उनसे क्षतिपूर्ति मांगी जा सकेगी। उनकी रक्षा के लिए यह उपबन्ध उचित है। अब इस अधिनियम को पारित हुए एक वर्ष हो चका है। और संविधान के शुरू होने तथा इसके पारित होने के बीच वाले समय में अनेकों बातें हुई होंगी और मुझे प्रतीत होता है कि सम्बन्धित अधिकारियों को दीवानी मुकदमों तथा हानिपूर्ति के मुकदमों से बचाव के लिए यह खंड उचित ही है, जो उन सभी अधिनियमों को वैध ठहराता है, तथा उनको अभी तत्क्षण वैध नहीं ठहराता, बल्कि यह कहता है कि 'वे उतने ही वैध तथा प्रभावी रहेंगे, जितने विधि के अनुसार पारित किए जाने पर रहते' तथा अगला उपबन्ध उनको विधि के अनुसार पारित न मान किसी अधिकारी के विरुद्ध संभावी कार्यवाही का निषेध करता है।

अतः उपबन्ध का लक्ष्य स्पष्ट ही विधि को उचित मानते हुए उसके अधीन काम करने वाले पदाधिकारियों को वैध-कार्यवाही से सुरक्षित रखना है। यह वस्तुतः न्यायोचित ठहराने वाला नहीं, बल्कि क्षति-निवारक विधान है।

गड़बड़ मेरी समझ से उद्देश्य तथा कारणों के विवरण की उस कंडिका ने पैदा कर दी है, जो 'की गई कार्यवाहियों आदि को वैध ठहराने के लिए' से शुरू होती है। और यदि माननीय मंत्री ने इसे दूसरे प्रकार से शुरु किया होता, तो यह बात न पैदा हुई होती।

अब कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहे, तो कह सकता है, पर मेरे निकट तो यह स्पष्ट है कि यह न्यायोचित ठहराने वाला नहीं, बल्कि क्षति-निवारक विधान है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह बात कल नहीं कही गई थी, दूसरे खंड के शीर्षक तक में दोनों ही बातें कही गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के तर्क उपस्थित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर हम न्यायालय में तर्क नहीं कर रहे हैं, और सदन में वह करना समय का उचित उपयोग नहीं है।

श्री एन० सी० चटर्जी : पर आपकी व्याख्या के अनुसार भी इस खंड का पुनः आलोकन आवश्यक होगा। यह खंड पहले भाग में २६ जनवरी, १९५० से लेकर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के प्रारम्भ तक की कार्यवाहियों और न्याय-निर्णयों को न्यायोचित ठहराता है, और दूसरा भाग क्षति निवारण से सम्बन्धित है। अतः माननीय सदस्य स्पष्ट कर दें कि यह क्षति निवारक खंड ही है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सन्देह तथा आगे और तर्कों की आवश्यकता तो इसलिए नहीं है कि मैं कह चुका हूं कि शब्द यों हैं, उतने ही "वैध तथा प्रभावी रहेंगे जितने विधि द्वारा पारित किए जाने पर रहते।"

फ़िर यह निर्णय तो व्यवहारतः उच्चतमन्यायालय द्वारा होना है, इस सदन द्वारा नहीं।

श्री एस० एस० मोरे : आपके निश्चयात्मक विचार के कारण मुझे कुछ कहने में संकोच है, पर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए मुझे यह निवेदन करना है कि पदाधिकारियों की क्षति के निवारण तक तो ठीक है, पर सम्बन्धित व्यक्ति के ऊपर कलंक के समान उन दंडों को वैध ठहराने का काम संसद् को नहीं करना चाहिए। पोल जब हमें विदित हो गई है, तो उच्चतमन्यायालय के अंतिम उपाय तक पहुंचने के पहले ही हम उसे क्यों न ठीक कर दें? मूलतः अवैध दण्ड को वैध ठहराना तो संविधान के अनुच्छेद २० की अवज्ञा करना ही है। और संविधान की गारंटी का संशोधन तो उसके अनच्छेद ३६८ में उपबद्ध संशोधन-प्रणाली के ही अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार एक दूसरे विधेयक के सिलसिले में संविधान का संशोधन उचित नहीं कहा जा सकता...

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे उचित नहीं बता रहा, पर ऐसी कोई बात तो जब तक माननीय सदस्य की तर्क श्रंखला को न मान लिया जाए, उठती ही नहीं। वह बात है ही नहीं। यह साधारण सा विधान है। और एक सन्देह के कारण ही अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेकर मैं विधेयक के उपबन्ध को अवैध नहीं ठहरा सकता।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय मंत्री ही इसे स्थगित कर इस विषय पर विचार क्यों न कर लें?

अध्यक्ष महोदय : वह चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह चाहें तो वापस ही ले लें। पर अध्यक्ष को तो इसे लेकर आगे बढ़ना ही होगा। हां यदि कोई सहमत संशोधन रखा गया तो बिना पूर्व सूचना के ही मैं उसे नियमित ठहरा दूंगा। मनुष्य गलती कर सकता है और संभव है मैं भी गलती पर होऊं, पर मेरी समझ से सारी बात स्पष्ट है और माननीय सदस्यों की व्याख्या ठीक प्रतीत नहीं होती।

मेरी समझ में इससे औचित्य प्रश्न का झगड़ा निपट जाता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में विधेयक का लक्ष्य स्पष्ट कर देने के लिए—जो मुझे करना चाहिए था—मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं यह भी कहूंगा कि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में स्थिति स्पष्ट न करने के लिए मंत्रालय को अपनी त्रुटि स्वीकार कर लेनी चाहिए। "न्यायोचित ठहराना" शब्द पर दिए गए ज़ोर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

के कारण हम क्षति निवारण सम्बन्धी दूसरे पहलू को भूल गए और श्रीमान् आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह मुख्यतः क्षति निवारण सम्बन्धी विधान है।

एक दूसरी बात भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। हम सबके मन में एक छोटा सा सन्देह ही है कि १९४८ के विधान की वह घोषणा वैध होगी या न होगी, और उस छोटे से सन्देह को हम इस उपबन्ध द्वारा दूर करना चाहते हैं। तथ्यतः स्थिति यों है कि इस अधनियम को १ मार्च १९५२ को पंजाब की १७ तहसीलों में और बाद में विंध्य प्रदेश की कुछ तहसीलों में लागू किया गया था। शक्ति सुषव के प्रशासन का प्रवर्तन दूसरे राज्यों में राज्यों द्वारा बनाए गए अधिनियमों के द्वारा किया गया है। १ अक्टूबर को ही हमने एक अधिसूचना निकाली थी, जिससे यू० पी० का अधिनियम वृथा हो गया था। जैसा आपने बताया, ८ मई को उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम को लागू करने वाली अधिसूचना ने इस घोषणा के सम्बन्ध में सारे सन्देह दूर कर दिए थे। वास्तविक समय १ मार्च से ८ मई तक का है। यह बहुत थोड़ा सा समय है, जिसमें हमने पंजाब की १९ तथा विंध्य प्रदेश की कुछ तहसीलों में इस अधिनियम को लागू किया था। श्रीमान्, मुझे यकीन दिलाया गया है कि कोई भी अभियोग नहीं चलाया गया है। फिर भी मेरे विधिज्ञ परामर्श दाताओं ने मुझे परामर्श दिया कि खंड ४ में प्रयुक्त भाषा सामान्य भाषा है, जिसे वे प्रयुक्त करते हैं और जैसा आपने भी स्पष्ट कर दिया है, पदाधिकारियों के कार्यों को वैध ठहराने के ऊपर उतना जोर नहीं दिया गया है, जितना उन पदाधिकारियों को क्षति के निवारण पर, जिन्होंने कार्यवाही की थी, और यदि कुछ दण्ड दिए गए हों तो वे उन पदाधिकारियों के कारण दिए गए हैं।

मैं समझता हूं कि संविधान के अनुच्छेद २० के उपबन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस दिशा में की गई समग्र कार्यवाहियों को अनुच्छेद २४५ समेट लेता है, जिसे आपने न्यायोचित माना है। मैं ने महान्यायवादी से कहा था कि यदि वह सदन में आकर वैध स्थिति को स्पष्ट कर देते, तो अच्छा रहता। पर दुर्भाग्य से वह उच्चतमन्यायालय में बोल रहे हैं और वे सरकार को अपना परामर्श दे चुके हैं।

मुझे पता चला है कि इस विधान के अधीन कोई दंड नहीं दिया गया है। अतः यह मान भी लिया जाये कि अनुच्छेद २० की बात उच्चतमन्यायालय में उठ सकती है, तो भी वैसी कोई बात इसलिए नहीं उठेगी कि कोई दण्ड दिया ही नहीं गया है। पर यह तो न यहां की बात है, न वहां की। यह तो १ मार्च से ८ मई तक इस विधान के अधीन की गई कुछ कार्यवाहियों से संभव क्षति के निवारण की बात है। मैं नहीं समझता कि इससे साधारणतः कोई फ़ौजदारी-कार्यवाही जान-बूझ कर करने की बात उठेगी। क्योंकि यह अधिनियम ही हमें शक्ति-सुषव का कुछ अनुपात निश्चित करने के लिए तेल-कम्पनियों को विवश करने की ही शक्ति देता है। इस अधिनियम का प्रभावी अंश यही है। पर जैसा सदन को भली-भांति विदित है, हम क्षति-निवारण को अपनी जान में हुए कार्यों तक ही सीमित नहीं कर सकते। संभव है, ऐसी भी बहुत सी बातें हों, जिनका सरकार को ज्ञान नहीं है।

अतः यह सभी को समेटने वाला उपबन्ध है। फिर भी, महान्यायवादी तथा अपने विधिज्ञ-परामर्शदाताओं ने मुझे यकीन दिलाया है कि श्री चटर्जी द्वारा कल्पित स्थिति विद्यमान नहीं है, न हमने कोई बडी भारी ग़लत

बात ही की है और न हम संविधान के अनुच्छेद २० के उपबन्धों का ही उल्लंघन कर रहे हैं ।

श्री सी० डी० पांडे : (नैनीताल ज़िला व अलमोड़ा ज़िला दक्षिणी पश्चिम व बरेली ज़िला उत्तर) : चीनी उद्योग वाले राज्यों विशेषत: यू० पी०, बिहार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण इस विधान का मैं समर्थन करता हूं । पैट्रोल की भारी कमी देश में उपलब्ध इस पदार्थ द्वारा पूरी हो सकती है । संश्लिष्ट पैट्रोल की बहुत चर्चा हुई है, पर पैसे की कमी से वह योजना आगे न चल सकी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

इन कठिनाइयों की दृष्टि में बदले में काम आ सकने वाले इस सस्ते पदार्थ की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ।

शक्ति-सुषव की हमारी उत्पादन-क्षमता १०० लाख गैलन प्रतिवर्ष होने पर भी हम इसका कुल आधा ही पैदा करते हैं और आधे महीने कारखाना बेकार रहता है । फिर हम यह क्षमता ३०० लाख गैलन तक बढ़ा सकते हैं और उतना विदेशी विनिमय बचा सकते हैं, और काफ़ी सा आबकारी राजस्व प्राप्त कर सकते हैं ।

एक मन शीरे से लगभग दो गैलन तक बन सकने वाला यह शक्ति सुषव चीनी उद्योग का एक उत्पाद है । और शीरा आठ आने मन भी नहीं बिक पाता । अत: इस विधान द्वारा भारत में शक्ति सुषव के लिए बाजार बन जाएगा ।

चलते-चलते मुझे यह भी कहना है कि "जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर" यह शब्दावली हमारे विधानों का एक अंग बन गई है, जो बहुत खटकती है ।

चार गैलन पैट्रोल में एक गैलन शक्ति-सुषव आसानी से मिलाया जा सकता ह, अर्थात् हम बर्तमान अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता को आसानी से दूना कर लगभग २०० लाख गैलन पैट्रोल बचा सकते हैं । पैट्रोल के स्थान पर काम आने वाला यह पदार्थ राष्ट्रीय महत्व का है, अत: इस विधान को सभी का समर्थन प्राप्त होना चाहिए ।

श्री बंसल : (झज्झर-रिवाड़ी) : अभी लखनऊ में एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग (एकैफ) की एक गोष्ठी में शक्ति-सुषव उद्योग के आर्थिक तथा प्राविधिक पहलुओं पर विचार किया गया था । मूल विधान की धारा ४ की धारा ३ शीरे को छोड़ अन्य पदार्थों से शक्ति-सुषव निकालने का निषेध करती है । उक्त गोष्ठी में कहा गया था कि भारत में टेपिओका और बैगासरा से भी शक्ति सुषव बन सकता है । क्या वाणिज्य मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा ?

देश में पैट्रोल के प्राकृतिक स्रोत न होने से हमारे लिए इस पदार्थ का विशेष महत्व है । मुझे पता चला है कि अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता १८० लाख गैलन है—१०० लाख नहीं जैसा श्री पांडे ने बताया है । आजकल हम ६०-७० लाख गैलन पैदा करते हैं, पर बम्बई आदि में निर्माताओं को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं । मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र द्वारा इस उद्योग को अपने अधीन ले लेने के बाद राज्यों का एतद्विषयक क्षेत्र क्या रह जाएगा ?

शक्ति सुषव पर पैट्रोल जितना ही उत्पादन शुल्क अनुचित है । फिर पैट्रोल तो बन्दरगाहों पर आ जाता है, पर शक्ति-सुषव के देश के भीतरी भागों में बनने के कारण उस पर भाड़ा-व्यय भी बहुत हो जाता है । इन दोनों कारणों से उसका भाव बढ़ जाता है ।

मुझे बताया गया है कि देश में पैट्रोल पर पूर्णाधिकार रखने वाली विदेशी संयुक्त कम्पनियां शक्ति-सुषव के मिलाने और भंडार

[श्री बंसल]

में रखने की कोई सुविधा नहीं देतीं, और यह भारी बाधा है। आशा है, इस ओर भी पूरा ध्यान दिया जायेगा।

चलते-चलते मैं कोयला-उद्योग से पैट्रोल के उत्पादनों के बनाने का भी निर्देश करूंगा। समय आ गया है कि इस दशा में भी सहानुभूति और गम्भीरतापूर्वक शीघ्र पग उठाए जायें।

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिर) : कल श्री चटर्जी द्वारा उठाई गई बात के औचित्य प्रश्न न होने से अध्यक्ष के निर्णय का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और यद्यपि अध्यक्ष महोदय ने अपना अभिमत दे दिया था, पर अन्य सदस्यों के लिए द्वार खुला रखा था। इस विधेयक का पहला भाग १९४८ वाले अधिनियम का क्षेत्र भाग 'ख' राज्यों समेत सभी राज्यों तक बढ़ाता है और दूसरे संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची १ की मद ५२ के उपबन्ध के अनुकूल धारा २ की भाषा को सुधार देता है। इस विधेयक का दूसरा भाग (खंड ४) विहित कार्यों को न्यायोचित ठहराता है और क्षति निवारण करता है। श्री चटर्जी की आपत्ति पर माननीय मंत्री ने सुझाया था कि किसी विधान के सम्बन्ध के अनुकूल होने या न होने का प्रश्न उठाने के लिए यह उचित स्थान नहीं है। स्पष्ट है कि माननीय मंत्री किसी विधान की नियमितता या वैधता के बारे में अध्यक्ष के निर्णयों का उल्लेख कर रहे थे, उसके संविधान के अनुकूल होने या न होने की बात पर संसद् में चर्चा करने पर तो कोई निषेध नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् एक औचित्य प्रश्न पर ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा निपटाए गए विषय को फिर उठा रहे हैं। आवश्यक हो, तो मैं उस पर चर्चा करने को तैयार हूं। पर अध्यक्ष महोदय का निर्णय था कि इस पर अब चर्चा न हो।

श्री आर० एन० एस० देव : अध्यक्ष महोदय ने अंतिम निर्णय न दे अस्थायी निर्णय या प्रासंगिक अधिवचन दिया था।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह ठीक है कि अध्यक्ष महोदय का एतद्विषयक निर्णय प्रासंगिक अधिवचन पर ही था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उपस्थित न था। मैं कार्यवाही देखूंगा। संसद् के क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठते समय सामान्यतः अध्यक्ष महोदय अपने उत्तरदायित्व पर उसे अनियमित नहीं ठहराते, बल्कि संसद् के सर्वप्रभुत्वसंपन्न होने के कारण सदस्यों को उस पर विचार करने का पूरा अवसर दिया जाता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मुझे खेद है, पर जहां तक मुझ में अध्यक्ष महोदय की भाषा का अर्थ समझने की शक्ति है, उन्होंने निश्चयात्मक रूप से कह दिया था कि इस विषय पर अब चर्चा न हो। जब मैं श्री चटर्जी द्वारा उठाई गई आपत्ति का उत्तर दे रहा था, उन्होंने अन्तर्बाधा देकर कहा था कि 'किसी उपबन्ध विशेष की व्याख्या कोई तर्क करने लगने की अनुमति नहीं देती और यहां सभी समझते रहे हैं कि इस बात की चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान दूसरा है और यहां इस पर जोर न दिया जाये'। मैंने यह समझा था। माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि उनके विचारों का लाभ हमें मिले। मुझे कोई भी आपत्ति नहीं। बस, मुझे उसका उत्तर फिर देना होगा। और मैं एक सांविधानिक औचित्य की अवहेलना करूंगा कि जब अध्यक्ष महोदय ने एक विवाद की एक सीमा निश्चित कर दी हो, तो मैं उसका उल्लंघन

करूं। मुझे यही कठिनाई है। वैसे मैं जो कुछ भी कहा जाए, सुनने को तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता चला है कि अध्यक्ष महोदय ने इसे औचित्य प्रश्न मान इस पर अपना निर्णय नहीं दिया था, न वह ऐसा कभी करते ही हैं। उन्होने यही कहा था कि इस सीधी सी बात पर देर नहीं लग.नी चाहिए, और इसमें अंतिम कार उच्चतम न्यायालय को है। जो बात उठाई जा चुकी है और अध्यक्ष महोदय तथा माननीय मंत्री जिनको निपटा चुके हैं, उन बातों को छोड़ यदि माननीय सदस्य कुछ तर्क रख सदन को कायल करना चाहें, तो मैं उनको बोलने दूंगा। अध्यक्ष-पद किसी विधेयक के स्वरूप को अपने निर्णय से नहीं बदल सकता, पर सदन की कार्यवाही चलाने के लिए औचित्य प्रश्नों को निपटा सकता है। किन्तु कुछ बातों के निर्णय का उत्तरदायित्व न ले वह उनको सदन के निर्णय के लिए छोड़ देता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य ने अपना भाषण तैयार किया है और बोलना ही चाहते हैं.....

उपाध्य महोदय : यदि उच्चतम न्यायालय के अवसर-प्राप्त न्यायाधीश श्री चटर्जी द्वारा न रखे गये कुछ तर्क महाराजा साहब रखना चाहते हैं, तो सदन उनकी बात अवश्य सुनेगा।

श्री आर० एन० एस० देव : न मैं बोलने के लिए लालयित हूं, न इस विधान का विरोध करने के लिए। मुझे कुछ सांविधानिक तथा सैद्धान्तिक उलझनों का उल्लेख करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। पर कृपया सदन में पहले कही जा चुकीं बातें न दुहरायें। सदन नए तर्क सुन लेगा।

श्री आर० एन एस० देव : । प्रश्न उठाया गया है कि इस विधान के पारित हो जाने के बाद उचित स्थान पर ही यह प्रश्न उठाया जाये। संविधान 'राज्य' की परिभाषा में सरकार और संसद् या विधान मंडलों को समेटता हुआ संविधान की शक्तियों को कम करने वाली विधि के पारण का निषेध करता है, और अनुच्छेद १३ के खंड (२) का उल्लंघन कर पारित हुई विधियों को अवैध ठहराता है। माननीय मंत्री ने विधि की पारणा के बाद उच्चतम न्यायालय तक जाने की बात कही ....

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के बहुमूल्य समय की दृष्टि में माननीय सदस्य मंत्री की बात न दुहरा कर नए तर्क ही रखें।

श्री आर० एन० एस० देव : सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १३ (२) की ओर आकर्षित करते हुए मैं यह कह रहा हूं कि संविधान के अनुसार अवैध विधान अनजाने पारित करने पर तो उच्चतम न्यायालय तक जाना ठीक है, पर पहले से उस गलती को समझ लेने के बाद तो यही ठीक होगा कि पारित करने के पहले यहीं पर विचार कर लिया जाए।

खंड ४ के अर्थनिर्णय में अध्यक्ष महोदय ने उसे क्षति निवारण पर अधिक जोर देता हुआ माना है और उसकी पुष्टि में उन्होंने खंड की भाषा उद्धृत की थी। पर अब जब बात उठी है और माननीय मंत्री को भी कुछ सन्देह है कि १९४८ के अधिनियम की धारा २ के अनुसार कोई घोषणा प्रभावी थी या नहीं, तो हम इसे न्यायोचित नहीं मान सकते। "जितने विधि के अनुसार पारित किए जाने पर रहते" शब्दावली भी स्पष्ट नहीं करती की लक्ष्य क्षति निवारण ही है। जैसा माननीय मंत्री ने कहा १ मार्च से ८ मई, १९५२ तक का समय बहुत कम है और शायद ही कोई

[श्री आर० एन० एस० देव]

दण्ड दिया गया हो । पर हम आश्वासन चाहेंगे कि उस काल के कोई मामले लटके हुए नहीं चले आ रहे हैं और पुराने अधिनियम का उल्लंघन कर कोई कार्यवाही न की जाएगी । यदि माननीय मंत्री न्यायोचित ठहराना नहीं बल्कि क्षति-निवारण ही मूल हेतु मानते हैं, तो इस अंश में संशोधन स्वीकार कर लेने चाहिये । यदि वे उनको स्वीकार नहीं करते, तो मेरे विचार से यह उस तिथि को अपराध न होने वाले कार्यों को अपराध मान लेना है, जो संविधान के अनुच्छेद २० का उल्लंघन है । अनजाने में तो हम इस खंड ४ जैसी ही एक धारा (संख्या ६) प्रज्वलनशील वस्तु, अधिनियम, १९५२ में पारित कर चके हैं । पर तब यह प्रश्न न उठा था । अब इस समस्या के आलेपनों को जानते हुए सदन को जान-बूझकर वह उपबन्ध पारित नहीं करना चाहिए ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितूर) श्रीमान् माननीय अध्यक्ष ने बताया है कि खंड ४ की वह व्याख्या संभव नहीं है, और उनके प्रति पूरा आदर दिखाते हुए मुझे कहना है कि २६ जनवरी, १९५० के पहले का युग अब नहीं रहा । भूतपूर्व तिथियों से प्रभावित होने वाले विधान अन्तर्राष्ट्रीय विधि और विश्व के विविध संविधानों द्वारा आहृत नहीं है और हमारे संविधान के अनुच्छेद २० (१) ने तो स्पष्ट ही कर दिया है कि कोई व्यक्ति अपराध के समय प्रवृत्त विधि के अतिक्रमण न करने पर या अपराध के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिए जाने वाले दण्ड से अधिक दण्ड का पात्र न होगा । वैसे मामले हों या न हों, पर हम जानबूझ कर संविधान के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण नहीं कर सकते । अनुच्छेद १३ (१) को छोड़ भी दें, तब भी क्या अनुच्छेद २० (१) के रहते हुए हम भूतपूर्व तिथियों से प्रभावी विधान बना सकेंगे ?

माननीय मंत्री ने महान्यायवादी के परामर्श का उल्लेख किया । अच्छा होता यदि वह यहां आकर हमें बता देते कि खंड ४ के ये स्पष्ट शब्द कैसे टिक सकते हैं कि १९४८ के अधिनियम के अधीन पारित दण्ड-आदेश या की गई कार्यवाहियां आदि उतनी ही प्रभावी होंगी, जितनी इसके विधि के अनुसार पारित होने पर होतीं । और उनके लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जा सकेगी । खंड के पहले उपबन्ध में उन कार्यवाहियों को स्पष्ट ही न्यायोचित ठहराया गया है । अर्थात् पुरानी विधि के अनुसार अपराध न होने वाली बात भी अब अपराध बन जाएगी । तो क्या हम इस भूतलक्षी उपबन्ध से सहमत हो जायेंगे ? मान लो, आज उच्चतम न्यायालय में कोई मामला चल रहा हो, और वह उस अधिनियम को अवैध घोषित करने जा रहा हो, तो क्या हम उसे वैध ठहरा देंगे ? न्यायालय तो हमारे इस कृत्य को वैसे ही स्वीकार न करेंगे, पर क्या हमें जान-बूझकर मूल-अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली कोई विधि पारित करनी चाहिए ? मैं प्रस्तुत विधान के विरोध में नहीं हूं, पर संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा तो होनी ही चाहिए । आशा है, माननीय मंत्री इस भूतलक्षी उपबन्ध में परिणामों को समझते हुए इस पर पुनः विचार करेंगे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूरी कथा फिर दुहराना बहुत कष्टप्रद होता है । अभी बैठने वाले माननीय सदस्य ने भूतलक्षी विधि की बात उठाई थी । माननीय सदस्यों ने संविधान पर श्री बसु की टिप्पणी पढ़ी होगी । मैं साधारणतः उस ग्रंथ को बहुत महत्व नहीं देता । उसके पृष्ठ ५२७ पर संविधान के अनुच्छेद २४५ द्वारा भूतलक्षी विधान बनाने की अनुमति का वर्णन है । अतः

भूतलक्षी विधानों के विरुद्ध यह सार्वजनीन शिकायत उचित नहीं है। बहुत संभव है माननीय सदस्य ने इस सबको एक विधेयक के भूतलक्षी उपबन्ध विशेष के विरुद्ध लागू करने की बात सोची हो। अस्तु भूतलक्षी विधानों की अनुमति है, और इसीलिए हमने यह उपबन्ध रखा है। माननीय अध्यक्ष द्वारा बात उठाने पर मैंने स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे वस्तुत क्षति निवारक विधान बताया था और उन्होंने उस व्याख्या को ठीक माना था।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : एक औचित्य प्रश्न पर। क्या अनुच्छेद २४५ भूतलक्षी विधानों की अनुमति देता है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने माननीय सदस्य को अनुच्छेद २४५ के सम्बन्ध में श्री बसु के ग्रंथ के पृष्ठ ५२७ के पढ़ने का सुझाव दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें यही कहा गया है कि मूल अधिकारों की अविरोधी कुछ परिस्थितियों में भूतलक्षी विधान पारित किए जा सकते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने महान्यायवादी से परामर्श किया था और प्रकट है कि कुछ माननीय सदस्य उनके विचार जानना चाहेंगे और मैं उन्हें पढ़ दूंगा। दुर्भाग्य से उनके द्वारा निर्दिष्ट ग्रंथ की एक प्रति हम प्राप्त न कर सके, और मुझे पता चला है कि सभी पुस्तकें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पास हैं, और हमारे लिए उच्चतम न्यायालय तक पहुंचना असंभव है।

महान्यायवादी की टिप्पणी में सारांशतः यह कहा गया है:

"१. खंड ४ का उपबन्ध मेरे विचार से संविधान के अनुच्छेद २० (१) का अतिक्रमण नहीं करता।

२. एक कार्य के सम्पन्न होते समय विधि के अनुसार उसके अपराध न होने पर न्यायालय द्वारा उसे अपराध मानते हुए दिए जाने वाले दण्ड का संविधान निषेध करता है, पर इसमें भूतलक्षी तिथियों से विधान के पारण का कोई निषेध नहीं है। इस विषय में हमारा संविधान स्पष्ट ही अमरीका तथा अन्य देशों के संविधानों से भिन्न है, क्योंकि वहां विधान मंडलों के लिए भूतलक्षी तिथि से प्रभावी विधानों के पारण करने का निषेध है।

३. खंड ४ का उपबन्ध स्वरूप म भूतलक्षी विधि सा नहीं है देखिए विलिस की सांविधानिक विधि, पृष्ठ ५१६, शीर्षक—"दण्ड विधि भूतलक्षी तिथि से प्रभावी कब होती है।" यह उपबन्ध तो एक ऐसी विधि को न्यायोचित ठहराता है, जिसमें एक कार्य को अपराध बताया गया था। दूसरे शब्दों में कार्य सम्पन्न होते समय विधि तो विद्यमान थी, पर उसकी वैधता संदिग्ध थी।

४. उपबन्ध का लक्ष्य यह है कि समाप्त हो चुकीं कार्यवाहियों में सिद्ध दोष व्यक्तियों को दिये गये दण्डों को वैध बना दिया जाए।"

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

जैसा मैंने पहले बताया विलिस के ग्रंथ के प्राप्त न हो सकने से सदन उसका लाभ न उठा सका।

मैंने बताया कि तथ्यतः सरकार की समझ से कोई मामला विद्यमान नहीं है। यदि सरकार के बिना जाने कुछ विद्यमान है, तो १९४८ के अधिनियम को प्रभावी समझते हुए अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों और दिए गए दण्डों के सम्बन्ध में उनके क्षति-निवारण के लिए यह उपबन्ध रखा जा रहा है। माननीय सदस्य चाहें तो उचित स्थल पर जाकर कह सकते हैं कि अमुक अभियुक्त एक ऐसे अधिनियम के अधीन दण्ड भुगत रहा है, जिसकी वैधता संदिग्ध है, और उसे छोड़ दिया जाए। इस बात से केवल एक वैध-गुत्थी उठ खड़ी होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जहां तक हमें विदित है, उचित स्थान पर यह गुत्थी भी खड़ी नहीं की जा सकती। महान्यायवादी के विचारों को प्रकट कर देने के बाद मैं और कुछ कह कर सदन को थकाना नहीं चाहता।

माननीय सदस्यों द्वारा इस विधान के बारे में एक दो बातें और उठाई गई थीं। मैं मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण है, और मेरे विचार से डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा भी, जब वह पदासीन थे, इसकी महत्वपूर्णता स्वीकार की गई थी। यह सच है कि हमने उतना अधिक नहीं किया, जितना वह उस समय करना चाहते थे। जैसा मैंने सदन को पहले ही बताया था, इस विधान का उन राज्यों में प्रवर्तन अभी अभी शुरू हुआ है, जहां संविधि-पुस्तिका में इस प्रकार का विधान पहले से विद्यमान था; जैसे हमने यू० पी० में इसे इस वर्ष १ अक्टूबर से ही प्रवर्तित किया है।

देश में उपलब्ध कुल मात्रा के विषय में मतभेद संभव है। एक सदस्य ने ९० लाख गैलन बताया, दूसरे ने २०० लाख गैलन यह सब आपके एतद्विषयक दृष्टिकोण पर निर्भर है। पर अंतिम उत्पादन-परिसामर्थ्य जैसी भी एक चीज़ है और विशेषज्ञों से पता चला है कि प्रति वर्ष ४ लाख टन शीरे के उत्पादन के आधार पर २५० लाख टन तक शक्ति सुषव का उत्पादन किया जा सकता है। अतः हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी हम लगभग एक चौथाई ही पैदा करते हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री बंसल द्वारा मद्य-निषेध के बारे में एक बात उठाई गई थी। मेरे विचार से मद्य-निषेध और शक्ति सुषव में गाढ़ी मैत्री है। यदि लोग मद्य न पिएं, तो वह उद्योगों के लिए उपलब्ध रहेगा। अतः शक्ति-सुषव उद्योग के विकास म चाव लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मद्य-निषेध का पूरा समर्थन करना पड़ेगा। पर बम्बई और मद्रास में मद्य-निषेध के कारण काम में न आने वाले संसाधनों से हमने काम नहीं लिया है। बम्बई में इस उद्योग के विकास के बारे में एक निर्देश किया गया था और बम्बई सरकार नासिक स्थित अपनी मद्य निर्माण शाला को शक्ति सुषव के उत्पादन के काम में लाना चाहती है। पर दुर्भाग्य से लागत की समस्या आड़े आ जाती है और वे देखते हैं कि शीरे की और उसके नासिक को यातायात की लागत इस सुषव की तेल कम्पनियों द्वारा खरीदने योग्य बचत वाली लागत से कहीं अधिक हो जाती है। पर हम इस कठिनाई का सामना करने के लिए साधनोपाय खोज रहे हैं। मुझे यह भी पता चला है कि मद्रास में पेरी एंड कम्पनी नामक बड़ी मद्यनिर्माण शाला भी शक्ति-सुषव के उत्पादन की बात सोच रही है, और भारत सरकार द्वारा उसके अपने हाथ में ले लिये जाने पर मेरे विचार से कुछ प्रगति हो सकेगी।

राज्य सरकारों और भारत-सरकार के कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में भी कुछ सन्देह प्रकट किया गया था। मेरी समझ से इस सम्बन्ध में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार नीति निश्चित करती है और कुछ नियंत्रण रखती है, और राज्य-सरकारें इन नियंत्रणों के प्रवर्तन में एकसा सहयोग देती रही हैं, अतः मेरी समझ से कोई कठिनाई पैदा नहीं होतीं।

उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य द्वारा एक और बात उठाई गई थी कि हम जम्मू तथा काश्मीर राज्य को इस विधान के क्षेत्र में नहीं रख रहे हैं। मैं उनका ध्यान अनुच्छेद ३७० (१) (ख) की ओर आकर्षित करूंगा, जिसके कारण जम्मू तथा काश्मीर राज्य को इस विधान के क्षेत्र से बहिर्गत करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहता।

श्रीमान्, अपनी समझ से मैं ने संविधान वाली समस्या को छोड़ माननीय सदस्यों की बाकी सारी बातों का संतोषजनक उत्तर दे दिया है। जहां तक संविधान वाली समस्या का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य अब भी संदेहग्रस्त बने रहेंगे तो कुछ मामलों में तो हम सन्देहों को दूर न कर पायेंगे और ये सन्देह बने ही रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय शक्ति-सुषव अधिनियम, १९४८ में संशोधन करने वाले विधेयक को विचारार्थ ग्रहण किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इन प्रस्तावों पर पूरा-पूरा विचार कर चुके हैं। मैं खंड २ और ३ पर एक साथ मत ले लूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"खंड २ और ३ विधेयक का अंग बनाए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ और ३ विधेयक का अंग बना लिए गए।

खंड ४—(कुछ कार्यों को न्यायोचित ठहराना और उनके सम्बन्ध में क्षतिनिवारण)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री आर० एन० एस० देव का संशोधन अनियमित ठहराता हूं और उन तर्कों को दोहराने न दूंगा।

श्री आर० एन० एस० देव : श्रीमान्, मुझे वैकल्पिक संशोधन रखना है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ एक पर—

(१) पंक्ति १४ में "all" (सब) के स्थान पर निम्नांकित निविष्ट करिए :

No suit or other legal proceedings shall be maintained or continued against any authority, for any; and

(किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोग या वैध कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी रखी जाएगी; और)

(२) पंक्ति २२ से २५ में लुप्त करिए :

"Shall be as valid and operative as if they had been done, taken or passed in accordance with law, and no suit or other legal proceeding shall be maintained or continued against any authority, what soever"

(उतना ही वैध और प्रभावी रहेगा, जितना विधि के अनुसार पारित होने पर या करने पर रहता और किसी भी अधिकारी

[श्री आर० एन० ऐस० देव]

के विरुद्ध कोई भी अभियोग या वैध कार्यवाही नहीं की जाएगी या ज़ारी रखी जायगी ।)

चूंकि माननीय मंत्री ने क्षतिनिवारण ही एक मात्र लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है अत: उनको उसी लक्ष्य वाले इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल): और संशोधन संख्या १ श्रीमान् ?

उपाध्यक्ष महोदय वह अंत में आएगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मेरे विधिज्ञ परामर्शदाता द्वारा मुझे परामर्श दिया गया है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार न कर सकूंगा और खंड यथापूर्व बना रहे । अत: मैं स्वीकार नहीं कर सकता ।

[श्री आर० एन० एस० देव का संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ]

श्री पी० टी० चाको : मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं : पृष्ठ १ में—

(१) पंक्ति २२ में "as" (उतने) के स्थान पर "deemed to be" (समझे जायेंगे) आदिष्ट किया जाय ।

(२) पंक्ति २३ में "and no" (और नहीं) के स्थान पर "for the purpose of any" (किसी काम के निमित) आदिष्ट किया जाय ।

(३) पंक्ति २४ में "Shall be maintained or continued" (की जायगी या ज़ारी रखी जाएगी) लुप्त किया जाय ।

श्रीमान् खंड पर हुए विवाद से स्पष्ट हो गया है कि दण्डों को न्यायोचित ठहराना नहीं, बल्कि क्षतिनिवारण ही खंड ४ का मूल लक्ष्य है । दण्डों और कार्यवाहियों का किसी सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अभियोग के प्रयोजन से न्यायोचित समझा जाना ही काफ़ी होगा । इससे क्षति निवारण तो हो ही जाता है, साथ ही विधि को गलती से न्यायोचित मानकर दिए गए दण्ड न्यायोचित नहीं ठहर पायेंगे । माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि अपने क्षति निवारण वाले लक्ष्य की दृष्टि में मेरा संशोधन स्वीकार करके स्थिति स्पष्ट कर दें ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सदन में प्रस्तुत किया गया]

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संविधानिक आपत्ति सम्बन्धी मुश्किल को दूर कर देने के कारण यह बड़ा अच्छा संशोधन है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जहां तक पहले संशोधन की बात है. यह तो भाषा का हेर-फेर है और दूसरा संशोधन तीसरे के अनुकूल नहीं बैठता । जहां तक तीसरे संशोधन का प्रश्न है विलुप्त किए जाने वाले शब्द "की जायगी या ज़ारी रखी जायगी" केवल दण्ड-कार्यवाही के ही विरोध में नहीं है बल्कि अन्य वैध-कार्यवाहियों के विरोध में भी है । मान लीजिए कोई दीवानी कार्यवाही है, तो अनुच्छेद २० के उपबन्ध से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । हमें भूतलक्षी विधान पारित करने होंगे । इससे शक्ति छीनी नहीं जाती । शक्तियां तो विद्यमान है हीं और यदि मैं उन शब्दों का लोप भी कर दूं, तो भी भले ही इस उपाय-विशेष से दण्ड-कार्यवाही के दृढ़ीकरण की संभावना न रहने से माननीय सदस्यों को रुचिकर लगे, पर साथ ही यह दीवानी अभियोग को भी विफ़ल बना देगा, क्योंकि उस अभियोग को भी चलाया या जारी नहीं रखा जा सकता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उनको विफ़ल बनाना चाहिए ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्यों ? हम सहमत नहीं हैं। बात वस्तुतः यह है। यदि माननीय सदस्य दण्ड-कार्यवाहियों वाले अनुच्छेद २० तक ही अपना ध्यान केन्द्रित रखें, तो मैं सहमत हूं। पर बात यह है कि वैसे तो जैसा मैं ने कहा कोई दीवानी अभियोग नहीं है, पर मान लो कोई दीवानी अभियोग विद्यमान हुआ।

श्री पी० टी० चाको : उसके लिए हम वैध ठहरा तो रहे हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वैध ठहराना संभव है। भूतलक्षी विधान की संविधान अनुमति देता है और वह बनाया जा सकता है और किसी दीवानी अभियोग को वैध ठहराने के लिए उसे प्रवर्तित किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि दीवानी अभियोग इस खंड विशेष के क्षेत्र में न आएं। अतः मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री दीवानी अभियोगों को भी लेना चाहते हैं। एक बात दण्डों की और उठाई गई है, जो अनुच्छेद २० क मौलिक अधिकार के अधीन आती है। विधि भंग करने के लिए कुछ व्यक्ति संदिग्ध प्राविधिक आधार पर ही छूट जाना चाहते हैं। फिर दीवानी कार्यवाही को क्यों टाला जाए ? माननीय मंत्री के कथनानुसार इस संशोधन के मान लेने पर भी दीवानी अभियोगों से नहीं बचा जा सकेगा। यदि माननीय मंत्री को अनुच्छेद २० की विरोधी कोई कार्यवाही अभिप्रेत नहीं है, तो वह एक नया प्रारूप लाएं, तब मैं श्री चाको से भी उस पर विचार करने और उनके सुझाव को सुधारने के लिए कहूंगा, जिससे दण्डों तथा अन्य दण्ड-कार्यवाहियों के बारे में वह भूतलक्षी रूप में वैध बन जाए।

इसके पश्चात सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के बाद सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

अध्यक्ष महोदय : अब भारतीय शक्ति-सुषव (संशोधन) विधेयक के खंड ४ पर विवाद चालू रहेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्री चाको के इस संशोधन में तीन भाग हैं और प्रस्तुत खंड को संविधान के अनुच्छेद २० का विरोधी समझते हुए उसके विरोध में जो तर्क रखे गए हैं, मैं उससे प्रभावित न हो सका। खंड ४ में ऐसी कोई बात नहीं, जिससे यह कहा जा सके कि एक ऐसे नये अपराध की सृष्टि हो जाएगी, जो पुरानी विधि में न था। यदि नई बात होती, तो यह अनुच्छेद २० का उल्लंघन होता और फिर जब मंत्री जी कहते हैं कि कोई भी जाना हुआ मामला नहीं है, तब तो इस तर्क में कोई भी सार नहीं रह जाता है।

अब मैं व्यावहारिक सिद्धांत की बात कहूं। जब बहुत से व्यक्ति कोई अपराध करते हैं और विधि बदल जाती है, तो पुराना दोषारोपण स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। साधारण खंड अधिनियम की धारा ६ और देश की साधारण विधि के अनुसार विधि बदल जाने पर भी वे दण्ड नहीं बदलते हैं। हां, नैतिकता के नाते पुरानी विधि वाले दण्ड चलते नहीं रहने चाहिएं, पर कोई जाना हुआ मामला भी तो नहीं है। संशोधन का पहला भाग ('उतने' के स्थान पर 'समझे जायेंगे') बिल्कुल वैध और ठीक है, क्योंकि वे कार्य वर्तमान विधि जितने वैध न थे, बल्कि उतने वैध समझे जायेंगे। अतः इस भाग को मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। द्वितीय भाग के बारे में माननीय मंत्री ने क्षति निवारण मात्र ही अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है और यदि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

शब्द 'किसी अभियोग या वैध कार्यवाही के निमित्त' रहें, तो वह लक्ष्य पूरा हो जाएगा···

अध्यक्ष महोदय: बार-बार वही बात सामने आ जाती है, जो वस्तुत: निपटाई जा चुकी है। माननीय सदस्य संशोधन पर ही लें।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मेरा निवेदन है कि सुझाये गए शब्द मान लेने पर अधिकारियों को कम लाभ होगा। अत: मेरा सुझाव है कि संशोधन का पहला भाग मान लिया जाए।

श्री वेंकटरामन (तंजोर) : यह खंड कुछ विहित कार्यों को वैध मानता है और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को रोकता है, और श्री चाको के इस संशोधन की अपेक्षा उसकी भाषा अधिक उपयुक्त है। दूसरे श्री चाको के संशोधन से तो भाषा और भी भद्दी हो जाती है। दूसरे इस खंड का लक्ष्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को रोकना है, और यदि हम यह स्पष्ट न कहें तो अदालतों में कार्यवाहियां चलाई जायेंगी, भले ही पीछे से पहले खंड के अधीन छूट दे दी जाए। अत: खंड की भाषा संशोधन से अच्छी ही है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मैं नहीं समझता कि मुझे श्री वेंकटरामन द्वारा कही गई बात के अतिरिक्त और कुछ कहना है। क्योंकि मैंने संशोधन के माननीय प्रस्तावक की इच्छा पूरी करने का पूरा यत्न किया, पर मुझे संशोधन में कोई तत्व नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि 'उतने' के स्थान पर 'समझे जायेंगे' रखना आपेक्षिक लालित्य का ही प्रश्न है। तथा जहां तक 'और नहीं' शब्दों के स्थान पर "किसी काम के निमित्त" शब्दों के आदिष्ट करने का प्रश्न है, मेरे माननीय मित्र संयोजक अव्यय बिना जोड़े सब कुछ एक वाक्य में ही भर देना चाहते हैं। संयोजक अव्यय के दो प्रयोजन पूर्णत: स्पष्ट हैं। इससे पिछले उपबन्ध के कारण किसी अभियोग के चलाने या जारी रखने पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। जैसा मेरे पूर्ववक्ता माननीय मित्र ने बताया, अदालती कार्यवाही चलती रहेगी, और तब हमें पारित हुए क्षतिनिवारक अधिनियम को प्रस्तुत करना पड़ेगा। पर उक्त उपबन्ध के कारण न्यायालयों को उन प्रतिवादियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति देनी होगी, जो किसी विशेष मामले में सम्बन्धित पदाधिकारी रहे हों।

संभव है मेरे माननीय मित्र के मन में कुछ और बात हो। पर उन्होंने उपयुक्त शब्दावली सामने नहीं रखी, और मैं और मेरे विधिज्ञ परामर्शदाता उनके अभिप्राय: को नहीं समझ सके हैं, और उपयुक्त शब्दावली न चुन सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता दूं कि पूर्ववर्ती सदन ने ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम पारित किया था और उसकी धारा ६ की भाषा शब्दश: यही है। अत: माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार करके मुझे अज्ञात आपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, इसलिए मुझे इसका विरोध करना पड़ेगा।

[श्री चाको का संशोधन अस्वीकृत हुआ]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री एस० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ में पुनः संशोधन करने वाले विधेयक को विचारार्थ ग्रहण किया जाये ।"

औद्योगिक वित्त निगम १ जुलाई १९४८ को बनाया गया था और अपने चार वर्ष के जीवन-काल में वह औद्योगिक उपक्रमों की पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी सफल हुआ है, जो पूंजी-बाज़ार द्वारा पूरी हो सकती थी । यह वह युग था जब औद्योगिक उपक्रमों ने देखा कि उन की योजनाओं के लिये वांछित पूंजी एक ओर तो बढ़ते हुए भावों के कारण अपर्याप्त थी और दूसरे बाज़ार से ताज़ी रोक-सम्पत्ति खड़ी करना कठिन था । अतः औद्योगिक-वित्त निगम की स्थापना बड़ी ही समयानुकूल थी और उद्योग के विकास और वृद्धि में इस ने ठोस सहायता दी है । अब तक इस ने पूरे देश में छोटे बड़े आकार और सभी प्रकार के औद्योगिक उपक्रमों के लिये १०३ ऋण मंजूर किये हैं और अक्टूबर, १९५२ के अंत तक स्वीकृत की गई राशि रु० १५,२२,७०,००० है । सदन यह मानेगा कि यह महत्व-पूर्ण लेखा-जोखा है और विशेषतः तब जब यह ध्यान में रखा जाये कि औद्योगिक वित्त निगम के आरम्भ के समय औद्योगिक वित्त अपेक्षतया एक नई वस्तु थी और यह आवश्यक था कि यह सतर्कतापूर्वक आगे बढ़े । इस के द्वारा अर्जित किये गये सुझाव के कारण अब इस के लिये अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा देना संभव हो गया है । देश के औद्योगिक विकास के हित में भी यह आवश्यक है कि यह निगम औद्योगिक उपक्रमों की और भी अधिक सेवा कर सकने की स्थिति में बना रहे । प्रस्तुत विधेयक इसी दृष्टि से तैयार किया गया है । निगम के कार्य क्षेत्र को बढ़ा कर और पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेकर अपने आप को समृद्ध कर सकने में इसे समर्थ बना कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है । साथ ही इस की वित्तीय स्थिति को दृढ़ करने तथा उक्त अधिनियम में कुछ और उपबन्ध रखने का भी विचार है, जिस से निगम के लिये पहले से प्राप्त अपनी शक्तियों का प्रभावी रूप में पालन सम्भव हो सके ।

कार्यक्षेत्र बढ़ाने के सिलसिले में विधेयक में दो स्पष्ट प्रस्ताव हैं, पहले तो जहाज़रानी कंपनियों का उन 'औद्योगिक उपक्रमों' में समेट लिया जाना, जिन को निगम द्वारा वित्त दिया जा सकता है और दूसरे व्यक्तिगत अग्रिम-धनों की सीमा का बढ़ा दिया जाना । इस देश के लिये जहाज़रानी कम्पनियों के विकास की दृष्टि में यह उचित ही है कि हम उन को निगम की वित्तीय सहायता का भागी बना दें ।

निगम द्वारा व्यक्तिगत उपक्रमों को दिये जा सकने वाले ऋणों की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के सम्बन्ध में, निगम को कुछ समय से विदित हुआ है कि चारों ओर बढ़ते हुए और विशेषतः पूंजी-द्रव्यों के भावों की दृष्टि में ५० लाख रुपये की वर्तमान सीमा कुछ मामलों में अपर्याप्त रहती है । चूंकि निगम द्वारा अधिकांश अग्रिम-धन पूंजी द्रव्यों के सामने दिया जाता है, यह आवश्यक समझा जा रहा है कि अधिकतम सीमा को बढ़ा कर एक करोड़ रुपये कर दिया जाये । जब ऋण की प्रत्याभूति

[श्री एम० सी० शाह]

सरकार द्वारा की जा रही हो, तो इस सीमा से आगे भी बढ़ जाने देने का प्रस्ताव है।

एक दूसरी दिशा में निगम के कार्य और बढ़ाये जा रहे हैं और इसे पुनर्निर्माण तथा विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और सरकार के एजेंट के रूप में काम करने तथा उन के द्वारा उद्योगों को सीधे सीधे दिये गये ऋणों का अधीक्षण करने की शक्ति दी जा रही है।

इन प्रस्तावों की समीचीनता तब और भी स्पष्ट हो जायेगी जब मैं पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से आने वाले ऋणों से सम्बन्धित उपबन्ध की चर्चा करूंगा। सदन को विदित है कि पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने कुछ भारतीय सरकारी या अर्द्ध सरकारी परियोजनाओं के लिये कुछ ऋण स्वीकृत किये हैं। औद्योगिक उपक्रमों को वित्त प्रदान करने के क्षेत्र में औद्योगिक वित्त निगम की स्थिति की दृष्टि में, यह उचित ही होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का लाभ निजी उपक्रमों तक पहुंचाने के लिये इसे साधन बनाया जाये। मूल अधिनियम के पारित होते समय भी इस सम्भावना का अनुमान लगाया गया था और धारा २७ निगम द्वारा उधार लिये जाने का उपबन्ध करती है। फिर इस धारा के रखते समय यह स्पष्ट न था कि इस उधार में क्या साधन और क्या प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त होंगे। विश्व बैंक से और ऋणों के लिये बातचीत चलाते समय यह स्पष्ट हो गया था कि औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा, जिस की कार्यप्रणाली से उन्हें संतोष है, निजी उद्योगों को सहायता देने में उन को खुशी ही होगी। अतः धारा २७ को ऐसे रूप में संशोधित करने का विचार है, जिस से विश्व बैंक औद्योगिक वित्त निगम को ऋण दे सके। संशोधन में दो मुख्य बातें हैं, (१) सरकार द्वारा प्रत्याभूति का उपबन्ध और (२) विनिमय सौदों में हुए घाटों को पूरा करने का उपबन्ध। विश्व बैंक द्वारा निजी लोगों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में यह व्यवहार है कि संबंधित देश की सरकार प्रत्याभूति दे। अतः यह आवश्यक है कि औद्योगिक वित्त निगम को विश्व बैंक से मिलने वाले ऋणों के लिये ऐसी प्रत्याभूति दी जाये। जैसा सदन को विदित है, निगम द्वारा भारत में दिए गए बंध पत्रों और ऋण-पत्रों के संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति का अधिनियम में पहले से ही उपबन्ध है और अब उधार के सम्बन्ध में दी जाने वाली प्रस्तावित प्रत्याभूति अधिनियम की योजना के अनुकूल ही होगी।

विदेशी मुद्रा में लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में विनिमय-सौदों में होने वाले लाभ-हानि के बारे में यह ठीक ही है कि सरकार होने वाली हानि का खतरा और लाभ से फायदा उठाये। पुनर्निर्माण तथा विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से बड़े पैमाने पर ऋण लेना और विनिमय के घाटे को सहना निगम के लिये मुश्किल होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि निगम को होने वाले पांच प्रतिशत से ज़्यादा वाले सारे मुनाफ़े सरकार को मिल जाते हैं। विकास तथा पुनर्निर्माण के लिये औद्योगिक वित्त निगम और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के बीच हुए किसी ऋण-समझौते से भारत पूरा लाभ उठा सके, इस के लिये यह वांछनीय है कि विशिष्ट मामलों में औद्योगिक वित्त-निगम एक करोड़ की अधिकतम सीमा से भी अधिक ऋण दे सके। सामान्यतः बहुत बड़े औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से सीधे सीधे ऋण की बात कर सकना भी संभव होना चाहिये। अतः इस तरह के मामले औद्योगिक वित्त निगम और

पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के बीच हुए समझौते में शामिल न करने चाहियें । फिर भी कुछ मध्यगत मामलों में ऐसी पृथक बात चीत आवश्यक होगी और यदि ऋण मूलतः औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के साथ हुए समझौते के क्षेत्र में से भी दिये जायें, तो इसे टाला जा सकेगा । इसी कारण यह भी उपबन्ध रखा गया है कि यदि सरकार प्रत्याभूति दे तो निगम द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक के भी ऋण दिये जा सकेंगे । निगम द्वारा सन्तुष्ट हो चुकने और उसे अच्छा व्यापारिक प्रस्ताव मानते हुए उस के मंजूर किये जाने के पक्ष में सिपारिश कर देने के पूर्व सरकार यह प्रत्याभूति न दे दे, इस कारण यह भी उपबन्ध किया गया है कि ऋण निगम की सिपारिश पर दी गई प्रत्याभूतियों के बाद ही मंजूर किया जायेगा । ऋण गृहीता उपक्रमों का निरीक्षण करने के लिये निगम के पास अधीक्षक कर्मचारी-वर्ग है ही; बढ़ी हुई कार्यवाहियों को निपटाने के लिये इस में कर्मचारीवर्ग विशेषतः प्राविधिक विशेषज्ञों को बढ़ाये जाने का भी उपबन्ध है । इस प्रकार निगम उन औद्योगिक योजनाओं की जांच करने के लिये और उन की कार्य-प्रणाली का निरीक्षण करने के लिये अब अपेक्षतया अधिक अच्छी स्थिति में होगा । अतः यह उचित ही होगा, यदि निगम रूपी साधन केन्द्रीय सरकार और पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक दोनों के ही लिये उपलब्ध रहे । उन में से कोई भी उद्योगों को सीधे-सीधे ऋण देगा । विधेयक में रखा गया एतद्विषयक उपबंध स्वविवेकानुकूल उपबन्ध है, और इस का उपयोग समय विशेष पर इस कृत्य के पालन में अन्तर्ग्रस्त कार्य के सुचारु निर्वाह में निगम की योग्यता पर निर्भर रहेगा ।

निम्न उपायों द्वारा निगम के वित्तीय ढ़ांचे को सुदृढ़ करने का विचार है । पहले तो ऐसे उपबन्ध रखने का विचार है, जिस से अपने विनियोजनों में पूंजी अवक्षयण द्वारा या ब्याज की आवश्यक हानियां निगम को न उठानी पड़ें । वर्तमान स्थिति यह है कि निगम बाजार में बंधपत्र निकाल कर धन एकत्र करता है । इस प्रकार एकत्र किया गया धन औद्योगिक उपक्रमों को ऋण देने में काफी समय तक प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मंजूर किये गये ऋणों को नाम-पत्रों (दस्तावेजों) की जांच और अन्य अत्यावश्यक आरम्भिक बातों की पूर्ति के बाद ही बांटा जाता है और क्योंकि धन ऋणगृहीता की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर किश्तों में दिया जाता है । साथ ही निगम को मंजूर किये गये ऋणों के सम्बन्ध में बंधपत्र दे कर पूरी राशि के लिये अपना प्रबन्ध करना होता है, पर बन्धपत्र द्वारा एकत्र किया गया धन इसी कारण बीच के समय में रक्षित बैंक के पास यह धारा १९ के अधीन इस के ऐजेंट के पास यह धारा २० के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों में जमा करना पड़ता है । निगम द्वारा निक्षेपों या सरकारी प्रतिभूतियों में अर्जित ब्याज उस के द्वारा बंध पत्रों पर चुकाये गये ब्याज से बहुत कम होता है और कभी कभी ऋण देते समय सरकारी प्रतिभूतियों से धन निकालने में भी निगम को घाटा पड़ जाता है । इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए यह प्रस्ताव है कि निगम को रक्षित बैंक से परामर्श कर के एक अनुसूचित बैंक या राज्य सहयोगी बैंक में अपना धन जमा करने की आज्ञा दी जाये । यह भी प्रस्ताव है कि निगम को सरकारी प्रतिभूतियों के आगे रक्षित बैंक से अल्पकालीन आधार पर अठारह महीने से अनधिक समय के लिये तीन करोड़ रुपये तक उधार ले लेने की आज्ञा दी जाये, जिस से निगम को बंधपत्र समय से बहुत पहले निकालने की आवश्यकता न रहे । इस से ब्याज की हानि बचेगी । साथ ही समय का बंधन होने से निगम रक्षित बैंक

[श्री एम० सी० शाह]

द्वारा लिये गये अस्थायी ऋणों से ही काम न चला पायेगा, बल्कि इसे बाजार में अपने बंधपत्र निकालने पड़ेंगे।

३ म. प.

निगम की वित्तीय स्थिति दृढ़ करने के लिये एक विशिष्ट रक्षित निधि खड़ी करने का प्रस्ताव है, जिस में सरकार तथा रक्षित बैंक द्वारा अर्जित लाभांशों को तब तक जमा किया जायेगा, जब तक योग ५० लाख रुपये न हो जाये। अधिनियम में एक ऐसा उपबन्ध है, जिस के कारण लाभ में से प्रत्याभूत न्यूनतम लाभांश इसे आरम्भ से ही चुकाना होता है और निगम अपनी रक्षित निधि शीघ्र खड़ी नहीं कर सका है। इस का फल यह भी हुआ है कि अपने दायित्व का पालन करने के लिये निगम को पहले तीन वर्षों में ही केन्द्रीय सरकार से ऋण लेना पड़ा है। अपने आकार और कार्य-निर्वाह के लिये पर्याप्त रक्षित निधि अपने लाभ में से ही खड़ी करने में इस कारण निगम को बहुत समय लगेगा। अतएव सरकार तथा रक्षित बैंक द्वारा पहले कुछ वर्ष तक अपना अपना लाभांश छोड़ देना ही यथा संभव न्यूनतम समय में पर्याप्त रक्षित निधि खड़ी करने का सर्व क्षेष्ठ उपाय होगा। यह याद रखना होगा कि रक्षित बैंक की स्थापना के समय सरकार ने रक्षित बैंक को पांच करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया था, और वर्तमान प्रस्ताव उसी बात का एक अपेक्षतया अधिक समीचीन परिवर्तन भर है। केन्द्रीय सरकार तथा रक्षित बैंक की स्थिति की अन्य अंशभाजकों की स्थिति की तुलना में यह सुरक्षा की गई है कि किसी भी अंशभाजक का रक्षित निधि की रोकड़ बाकी पर कोई भी दावा न होगा।

अब मैं निगम को इन शक्तियों को देने वाले उपबन्धों में रखे गये संशोधनों को लूंगा। यद्यपि अधिनियम में यह उपबन्ध है कि कुछ संकट आ पड़ने पर ऋणगृहीता औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने के निगम को अधिकार है, पर ऐसा कोई सविवरण उपबन्ध नहीं है कि निगम इस शक्ति का पालन किस प्रकार करेगा। इसलिये यह प्रस्ताव है कि भारतीय समवाय तथा अधिनियम और औद्योगिक उपक्रम के स्मारपत्र तथा पार्षद् अन्तर्नियमों का आंशिक निरसन करते हुए पांच, नये खंड, खण्ड ३० क से ३० ङ तक, निविष्ट किये जायें। इन खंडों में निगम को उस औद्योगिक उपक्रम के संचालक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जिसे उस ने अपने हाथ में ले लिया है। इन संचालकों के कर्तव्यों और शक्तियों को सविस्तार दिया गया है। उन संचालकों की नियुक्ति के बाद सभी वर्तमान संचालक अपने पदों से च्युत समझे जायेंगे। उसी प्रकार हानि या क्षत्ति के किसी दावे के बिना ही सभी प्रबंध शाखा सम्बन्धी विद्यमान समझौते समाप्त समझे जायेंगे। अंशभाजकों का संचालकों के नामनिर्देशन संबंधी अधिकार समाप्त समझा जायेगा, और उन के द्वारा कोई भी संकल्प निगम द्वारा मंजूर न होने पर कार्यान्वित न किया जा सकेगा। निगम की मंजूरी के बिना औद्योगिक उपक्रम को बन्द न किया जा सकेगा। भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १५३ग (५) (घ) से (ङ) तक के समान ही निगम के लिये भी औद्योगिक उपक्रम और किसी दूसरे दल के बीच चलने वाली अन्याय्य संविदा की समाप्ति के लिये न्यायालय तक जाने की शक्ति ग्रहण की जा रही है। यदि किसी कुप्रबन्ध वाले तथा ऋण वापस लौटाने में असमर्थ औद्योगिक उप क्रम का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने की शक्ति निगम को देने का लक्ष्य पूरा करना है, तो ये उपबन्ध नितान्त आवश्यक हैं। अपवादभूत मामलों को छोड़ यह हाथ में ले लेने की

शक्ति को मुश्किल से काम में लाया जायेगा। पर ऐसा संकट जब कभी भी उपस्थित हो, यह आवश्यक है कि निगम बिना किसी बाधा के उस उपक्रम को चला सके। विधेयक के शेष उपबन्ध गत ४-४।। वर्षों में निगम द्वारा अर्जित अनुभवों पर आधारित है। मैं संक्षेप में उन संशोधनों का स्वरूप बताये देता हूं।

श्रीमान्, एक तो सरकार द्वारा नाम-निर्देशित संचालकों की संख्या तीन से बढ़ा कर चार की जा रही है। इस शक्ति को ग्रहण करने का लक्ष्य बोर्ड में नाम-निर्देशित सरकारी पदाधिकारियों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि सभी प्रयोजनों के लिये सरकार को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाना है। सरकार द्वारा मूलधन तथा ऋणपत्रों के लाभांश के सम्बन्ध में दी गई प्रत्याभूति के कारण ली गई जिम्मेवारी की दृष्टि में यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार अनुपात की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व ग्रहण कर लेगी। दूसरे धारा १० को संशोधित कर के निगम के एक उपप्रबन्धक संचालक को मताधिकार बिना निगम के संचालक वर्ग में सम्मिलित किया जा रहा है। तीसरे यदि आवश्यक हो जाये, तो प्रबन्धक संचालक की पद-च्युति का भी उपबन्ध रखा जा रहा है। भारत रक्षित बैंक अधिनियम में बैंक के गवर्नर के विषय में भी ऐसा उपबन्ध है और स्पष्ट ही यह आवश्यक है कि प्रबंधक-संचालक की सेवाओं को उस की नियुक्ति के काल में ही समाप्त करने की भी कुछ शक्ति हो। फिर भी नितान्त आवश्यक हुए बिना इस शक्ति का उपयोग न किया जाए, इस के लिये यह उपबन्ध रखा जा रहा है कि प्रबन्धक-संचालक को तभी पदच्युत किया जाए, जब बोर्ड दो तिहाई बहुमत से ऐसी सिपारिश करे और उसे अपना स्पष्टीकरण करने के लिये उपयुक्त अवसर दिया जाये। चौथे अधिनियम की धारा ३४ को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ की धारा ३७ के अनुसार संशोधित करने का विचार है, जिस से निगम के कार्यों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक अत्यन्त निकट से कर सकें। यह सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा संविहित निगमों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में व्यक्त की गई इच्छा के अनुकूल ही होगा।

फिर अधिनियम को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ के समक्ष बनाने के लिये अनेक छोटे छोटे संशोधन किये जा रहे हैं। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम पर ही आधारित उक्त विधान पर विचार करने वाली प्रवर समिति ने विधेयक में कुछ सुधार किये थे। हम उन सुधारों को अब औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में भी रख देना चाहते हैं। श्रीमान्, जैसा मैं बता चुका हूं, मुझे आशा है कि इस विधेयक में प्रस्तावित उपबन्धों के कारण निगम की कार्यप्रणाली में काफी सुधार हो जायेगा और देश के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इस की उपयोगिता बढ़ जायेगी।

श्रीमान्, मैं सदन से इस विधेयक की स्वीकृति के लिये अनुरोध करता हूं।

(प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया)

श्री के० सी० सोधिया (सागर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन ऐक्ट (औद्योगिक निगम अधि-नियम) का संशोधन करने के लिये जो बिल पेश किया गया है उस के सम्बन्ध में आप का ध्यान थोड़ा सा उस कार्पोरेशन की कार्यवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, जब यह ऐक्ट पास हुआ था उस वक्त देश के लोगों को इस से बड़ी बड़ी आशायें थीं कि इस से आगे चल कर हमारे देश में नये नये कारखानों के लिये

[श्री के० सी० सोधिया]

पूंजी प्राप्त होगी । मेरे सामने इस कारपोरेशन की चौथी सालाना रिपोर्ट है । इस रिपोर्ट में यह बात बतलाई गई है कि भिन्न भिन्न कारखानेदारों को किन किन प्रकार के कामों के लिये कितना कितना पैसा इस कार्पोरेशन ने इस काल में दिया है । लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस से आप को यह साफ नहीं मालूम हो सकता कि किन किन नये कारखानों को इस में से पूंजी दी गई है । इस में यह नहीं मालूम होता कि इस में सिर्फ पुराने कारखानेदारों ने ही जो कि देश को कपड़ा आदि बना कर देते हैं, पैसा प्राप्त किया है या नये कारखानेदारों को भी कुछ पैसा दिया गया है ।

दूसरे आप देखिये कि सरकार इस कार्पोरेशन से सवा दो रुपया सैंकड़ा सालाना का ब्याज लेती है । लेकिन पिछले साल में इस कार्पोरेशन ने एक पैसा भी ब्याज के रूप में नहीं दिया है और २४ लाख रुपया जो कि ब्याज का होता है वह अपनी तरफ नाम में लिख दिया है ।

तीसरी बात यह है कि इस एक्ट के सेक्शन २२ के मुताबिक इस कार्पोरेशन पर यह फर्ज आयद होता है कि इस को पबलिक से डिपाजिट (निक्षेप) प्राप्त करने चाहिये । पबलिक से किसी कम्पनी या कार्पोरेशन को डिपाजिट सिर्फ इस लिये नहीं मिल जाया करता कि सरकार ने उस की गारंटी दी हुई है, लेकिन उस की कारगुजारी से, इस बात से कि उस ने पूंजी पर इतना ब्याज पैदा किया है, उस को डिपाजिट मिलता है । पिछले चार सालों में चूंकि इस कार्पोरेशन ने एक भी पैसा पैदा नहीं किया है इसलिये यह सही बात है कि पबलिक इस को एक भी पैसा डिपाजिट में नहीं दे सकती । इसीलिये पिछले साल में हालांकि सैक्शन २२ में यह साफ लिखा हुआ है कि कार्पोरेशन का कर्तव्य है कि लोगों से डिपाजिट प्राप्त करे, इस कार्पोरेशन ने डिपाजिट के नाम पर एक पैसा भी पैदा नहीं किया है, और अब इस की पूंजी सिर्फ वह डिबेंचर (ऋण-पत्र) हैं जो कि सरकार ने अथवा रिज़र्व बैंक ने या और बैंकों ने लिये हैं । इस के अलावा और कोई जरिया इस के पास पैसा पैदा करने का नहीं है । अब आप देखिये कि १५ करोड़ रुपये का ऋण दे दिये जाने पर भी और जब कि यह कार्पोरेशन अपने कर्ज़दारों से साढ़े पांच रुपये सैंकड़ा सालाना का सूद लेता है, यह सरकार को एक पैसा भी ब्याज का नहीं दे सका है जब कि सरकार की ब्याज की दर केवल सवा दो रुपया सैंकड़ा सालाना है । अब तक इस ने सिर्फ इनकम टैक्स (आयकर) का पैसा दिया है और यह भी एक हाथ से दे कर दूसरे हाथ से ले लिया है । इस ने तीन साल में २४ लाख रुपया इनकम टैक्स का दिया है और २४ लाख ही अपने नाम में लिख लिया है । इस से क्या फायदा हुआ अर्थात् जिस तरह से कि इस कार्पोरेशन का काम चलना चाहिये उस तरह से नहीं चल रहा है ।

मैं आप के सामने एक और बात पेश करूं कि पिछले साल में इस कार्पोरेशन ने चार करोड़ रुपये का कर्ज दिया, लेकिन इस चार करोड़ का कर्जा देने पर अगर आप इस का कुल खर्चा देखें तो आप को मालूम होगा कि वह ३० लाख रुपया सालाना खर्चा हुआ है । अब आप सोचिये कि बैंकिंग के सिद्धान्तों के ऊपर काम करने वाला कोई कार्पोरेशन चार करोड़ रुपये का ऋण देने में अगर तीस लाख साल का खर्चा कर दे तो उस कार्पोरेशन के दिवालिया होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता । इसलिये मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि इस कार्पोरेशन के काम को सरकार चाहे किसी दृष्टि

से देखे लेकिन हम लोग इस पर लानत भेजने के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकते । इस देश के करोड़ों छोटे छोटे आदमियों का जमा किया हुआ पैसा जो सरकार के पास आता है उस पैसे को इस तरह से बरबाद होता देखना यह वाजिब बात नहीं है ।

अब दूसरी बात आप देखें कि इस कार्पोरेशन के पास ऐसे ऐसे कर्ज़दार आते हैं जो महीनों और वर्षों इस के साथ सर खपाते हैं और उनके ऊपर यह सैंकड़ों और हजारों रुपया खर्च करने के बाद उन को कर्ज मंजूर कर देता है । लेकिन वह हजरत ऐसे हैं कि महीनों और वर्षों कर्ज की रकम नहीं उठाते हैं और इस तरह से कार्पोरेशन को ब्याज का नुकसान हुआ करता है । आप ही बताइये कि ऐसा कौन सा साहूकार हो सकता है जिस के पास ऐसे ऐसे कर्जदार आवें और अपने कर्ज की रकम को मंजूर भी करा लें और फिर घर जा कर सो जायें और वर्षों तक कर्ज की रकम को उठाने के लिए न आवें । इसलिये अगर सरकार चाहती है कि इस का काम वाजिब तरीके से चले और इस को और नई नई पूंजी दी जाये तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि वह इस बात को देखने की कोशिश करे कि कार्पोरेशन वाजिब खर्चे में अपना काम करे ।

आप देखिये कि देश भर के कारखानेदारों के वास्ते पूंजी लगाने के लिये यह कार्पोरेशन है । काश्मीर से ले कर कन्या कुमारी तक और आसाम से ले कर गुजरात तक इस देश में सैंकड़ों कारखानेदार काम करते हैं । और यह कार्पोरेशन उन को कर्जा देता है । लेकिन क्या इसके पास कोई ऐसी मशीनरी है कि यह देख सके कि जिन कारखानेदारों को इस ने पैसा कर्ज दिया है उन्हों ने उस को वाजिब तौर पर लगाया है या नहीं और वह आगे चल कर उस का कर्जा चुका सकेंगे या नहीं । इस काम के लिये इस कार्पोरेशन के पास कौन सी मशीनरी है यह मैं जानना चाहता हूं ।

मान्यवर सभापति महोदय, मुझे यह आशा है कि इस कार्पोरेशन को और ज्यादा फंड देने से पेश्तर और इस के अधिकारों को बढ़ाने से पेश्तर इस बात की जांच कर ली जायेगी कि इस कार्पोरेशन के काम में जिस तरह कि वह आज चल रहा है कहां-कहां संशोधन करने की गुंजायश है । सरकार अगर इतना कर ले तो मुझे खुशी होगी कि वह फिर इस कारपोरेशन को जितना चाहे उतना अधिकार दे दे ।

अध्यक्ष महोदय : दुहरी चर्चा न हो, इस से प्रवर समिति को निर्देश सम्बन्धी तीनों प्रस्तावों को मैं एक साथ रख दूंगा और माननीय सदस्यों को अपना प्रस्ताव रखते समय बोलने का अवसर मिल जायेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक का डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्री उमाशंकर मूलजी भाई त्रिवेदी, कुमारी एनी मस्करीन, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री सी० आर० बासप्पा, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री अरुण चन्द्र गुहा, श्री ए० वी० टामस , श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, डा० लंका सुन्दरम्, श्री सारंगधर दास, श्री राधे लाल व्यास, श्री दौलत मल भंडारी, श्री एम० अनंतशयनम् आय्यंगार, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री टी० आर० नेसवी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री जयपाल सिंह, श्री हीरेन्द्र नाथ मुखर्जी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री एम० सी० शाह, श्री पी० एन० राजभोज,

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

श्री शिवमूर्ति स्वामी तथा प्रस्तावक से बनी प्रवर समिति को निर्देश किया जाये और उसे ३० जनवरी, १९५३ तक प्रतिवेदन करने का निदेश दिया जाये।"

(संशोधन अध्यक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया)

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : माननीय मंत्री ने बताया कि निगम ने १५ करोड़ रुपयों का ऋण मंजूर किया, पर हमें तो यही पता चलता है कि उसने ५ करोड़ ही दिये। क्या वह पूरे आंकड़े बता सकेंगे ?

श्री एम० सी० शाह : अक्तूबर के अन्त तक मंजूर की गई राशि १५,२२,७०,००० रुपये थी। इस में १४५ लाख नहीं दिये गये, या तो आवेदन वापस ले लिये गये या राशि कम कर दी गई; शेष लग भग १३,७८,००,००० रुपयों में से अब तक दी गई राशि ७,९६,००,००० रुपए है।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : देश की औद्योगिक वित्त संबंधी परिस्थिति और औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गत चार वर्ष में किये गये कार्य की समीक्षा का अवसर देने के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। विधेयक का मुख्य लक्ष्य पहले तो विश्व बैंक द्वारा आवश्यक बताई गई सरकारी प्रत्याभूति क. उपबन्ध है, दूसरे निगम की आर्थिक स्थिति दृढ़ करने के लिये कुछ परिवर्तन हैं और तीसरे अधिनियम के परिवर्तन को सुधारने के लिये कुछ अन्य प्राविधिक संशोधन करना है।

मैं माननीय मंत्री से विश्व बैंक से हुई बातचीत के विवरण जानना चाहूंगा। आर्थिक क्षेत्र में इस बैंक की वही स्थिति है, जो राजनैतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की है। पर इस बैंक को निरीह और परोपकारी न समझ हमें इस की राजनीति से सतर्क रह कर ऋण की शर्तों पर पूरा विचार करना चाहिये। अभी इस्पात-निगम के लिये बैंक से ऋण की जो बात चली थी, माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने उस के विवरण अब तक नहीं बताये। पर इस निगम को मिलने वाले ऋणों की बात चीत पूरी हो चुकी प्रतीत होती है, और इस सम्बन्ध में सदन को विश्वास में लिया जाए, क्योंकि निष्पक्ष प्रेक्षक भी उसकी आलोचना करते हैं। अपने 'अन्तर्राष्ट्रीय संगठन' ग्रंथ में पेंसिलवेनिया के राज्य कालेज के एक अमरीकी प्राध्यापक श्री लैरी ल्योनोल्ड स्पष्ट कहते हैं कि बैंक पर पूर्व और पश्चिम के राजनीतिक तनाव की छाया है। आगे वह बैंक के मुख्य अंशभाजक सं० रा० अमरीका द्वारा साम्यवादी राज्यों को ऋण न देने का उल्लेख करते हैं।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : ऋणगृहीता की साख का भी तो इस में संबंध है।

श्री टी० के० चौधरी : हां, ऋणगृहीता का भरोसा तो होना ही चाहिये। पर इस बैंक का प्रमुख अंशभाजक अमरीका है और गवर्नर भी अमरीकावासी ही है। और चेष्टर बोल्स अमरीकी पत्रिका 'फ़ौरेन एफेयर्स' के अक्टूबर १९५२ के अंक में यह लिखते हैं कि "भारत में हमारे प्रयत्नों से बनने वाला साम्यवाद विरोधी मोर्चा हमारी ऐतिहासिक सफलता होगी। . . . भारतीय नेता सिद्धान्ततः प्रजातन्त्र समाजवाद पसंद करेंगे . . . सौभाग्य से अब अनेक नेता समझने लगे हैं कि हमारा निजी उपक्रम समाजवाद से अच्छा है. . ..तीन नई तेल-कम्पनियों को २५ वर्ष तक राष्ट्रीयकरण न किये जाने की गारन्टी दी गई है। . . . ." आगे वह सुझाते

हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान जैसी हो; वही जापान जो अमरीका से ददाक्रान्त है ।

फिर विश्व बैंक ऋण देने से भी पहले वित्तीय तथा राजकोषीय सुधारों की मांग करता है । तो हम जानना चाहते हैं कि उस की शर्तें क्या हैं, क्योंकि हमें पूरा भय है कि अमरीका से नियंत्रित विश्व बैंक की शर्तें निरीह नहीं हो सकती ।

फिर जब हम देखते हैं कि इस निगम का ढ़ांचा, नियंत्रण और स्वामित्व निजी लोगों और दलों के हाथ में है, और सरकार एक भागीदार भर है, तो हमें इस विधान के मूलतः पारित होते समय स्वर्गीय श्री खुर्शेद लाल की बात याद आ जाती है कि निजी बैंक, बीमा-कम्पनियां और व्यवसायिक वर्ग अपने प्रभाव के कारण पैसा अपने ही हितों के लिये लेना चाहेंगे । और यह भय बहुत अंश में उचित सिद्ध हुआ है । निगम में प्रभाव जमाते ही ये वर्ग देश की अर्थ व्यवस्था को अपनी अंगुली पर नचायेंगे । फिर विदेशी ऋण के सहारे देशी और अमरीकी पूंजी के बीच होने वाला यह गठबन्धन देश के लिये हितकर न होगा । अतः विधेयक पर पुनर्विचार हो ।

इस स्वायत्त निगम के आंतरिक प्रबन्ध में बाधा देना हमारे लिये ठीक नहीं, पर अब तक पूंजीपतियों के एक मंडल और उस के नेता ने इस के संसाधनों का जो उपयोग अपने हित में किया है, उस से देश के बड़े और बीच के उद्योगों का निगम से होने वाली धन-प्राप्ति की आशा मिट्टी में मिल गई है ।

ऋणों और उन के वर्गीकरण को चार उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि यद्यपि ऋण देने के लिये एक कसौटी निश्चित की गई थी, पर पूर्ववर्तिता की कोई योजना नहीं बनाई जा सकी । निगम द्वारा दिये गय ऋणों को देखने पर उन का कोई भी नियमित आधार दृष्टिगोचर नहीं होता । १९५१-५२ में वस्त्र जैसे पुराने और प्रतिष्ठित उद्योग के दो करोड़ रुपये दिये गये, जो शायद मेरे द्वारा निर्दिष्ट पूंजी मंडल के नेता ने तथा-कथित 'छोटे' वस्त्रोद्योग वर्ग के लाभ के लिए दिलाया था । नये उद्योगों को ऋण न देने वस्त्र-उद्योग को ऋण का दिया जाना विस्मय में डालता है । यह निगम लोगों की मांग होने पर भी राज्य-निगम नहीं बन सका, बल्कि वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय के शब्दों हें राष्ट्रीय-कृत निगम बना । फिर भी हमारे युद्धोत्तर कालीन उद्योगीकरण की आवश्यकतायें इस से पूरी न हो सकीं; यह कुछ पूंजीपति-मंडलों के ही हाथ में रहा और सरकारी प्रतिनिधि भी राष्ट्र के वृहत्तर हित की वृद्धि न कर सके ।

मूल विधेयक संबंधी चर्चा के समय कहा गया था सरकारी व्यक्ति अविकसित क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों और जाति तथा वर्गगत हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाए । यह निगम तो राष्ट्रीय उपक्रम है, किसी विशिष्ट पूंजीपति-मंडल का नहीं .....

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : संचालक बोर्ड में तीन सरकारी नाम निर्देशित व्यक्ति हैं । वे सरकारी हित को छोड़ किसी हित का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

श्री टी० के० चौधरी : खंड ३ की टिप्पणियों को बताया गया है कि अधिनियम के अनुसार दी गई सरकारी प्रत्याभूतियों की दृष्टि में सभी हितों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

श्री एस० सी० शाह : इसी कारण हम संचालक बोर्ड में विद्यमान तीन सरकारी नामनिर्देशित व्यक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं । चूंकि हम इन ऋणों के लिये और प्रत्याभूति देने जा रहे हैं, हम एक व्यक्ति और बढ़ा रहे हैं । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हम

[श्री एम० सी० शाह]

सरकारी पदाधिकारियों को ही प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते; हम हितों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। मूल अधिनियम के इस अभिप्राय को हम पालन कर रहे हैं। तीनों ही सरकारी पदाधिकारी नहीं हैं।

श्री टी० के० चौधरी : मुझे विदित है। पर सरकारी नामनिर्देशित व्यक्तियों को पूंजीपतियों के मंडल विशेष का प्रतिनिधित्व क्यों करना चाहिये ?

श्री त्यागी : उन में से एक श्रम का प्रतिनिधि है।

श्री टी० के० चौधरी : हां, मुझे पता है—आई० एन० टी० यू० सी० का ही न।

विधेयक के खंड देखने में तो बड़े निरीह प्रतीत होते हैं, पर निगम के संसाधनों को खूब पुष्ट किया जा रहा है; वह बाजार से १०० करोड़ रुपये तक उधार ले सकता है।

श्री एम० सी० शाह : माननीय सदस्य चाहें, तो मैं बात स्पष्ट कर दूं। निगम की भुगताई गई पूंजी पांच करोड़ रुपये है; इस के पांच गुने तक के बंध-पत्र और ऋण-पत्र वह दे सकता है। दस करोड़ रुपया का निक्षेप वह सात वर्ष से अधिक तक के लिये ले सकता है।

श्री टी० के० चौधरी : उस की रक्षित निधि भी है, उस पर भी वह ऋण ले सकता है।

निःसन्देह ऋण, स्टाक आदि से पुष्ट हो कर यह निगम हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेने जा रहा है :

४ म० प०

शायद देश का सारा औद्योगिक भविष्य कभी इस के हाथ में हो, क्योंकि पंचवर्षीय योजना ने भी निजी उद्योगों को उन्मुक्त छोड़ दिया है। अब जब यह निगम अमरीकी प्रभुत्व और ब्रिटिश तथा अटलांटिक संधि वाले राज्यों से नियंत्रित विश्व बैंक के ऋण द्वारा पुष्ट होने जा रहा है, तो ऊपर उद्धृत श्री बोल्स और ल्योनोल्ड के विचारों की दृष्टि में हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने आर्थिक भविष्य को बंधक न रख दें। और न हम उसे एकस्व वाले पूंजीपतियों के किसी वर्ग का ही बंधक रख दें। वर्गहीन समाज का आदर्श देखने वाली सरकार आधे दर्जन पूंजीपतियों या एक पूंजीपति-मंडल के नेता विशेष के हाथों में देश का औद्योगिक भविष्य न रख देगी। आशा है, सरकार हमारी इन आशंकाओं पर ध्यान दे कर उन को दूर करने का प्रयत्न करेगी।

श्री ए० सी० गुहा : (शान्तिपुर) : निगम के संबंध में माननीय मंत्री द्वारा कही गई बातों को मैं नहीं मान सकता, क्योंकि उस के आपत्ति-जनक व्यवहार की बात मैं कई बार कह चुका हूं और संचालक-बोर्ड में अपना प्रभाव रखे बिना कोई अपेक्षतया धन-हीन उपक्रम उस से कुछ ऋण नहीं पा सकता। मेरे आरोप के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहाँ था कि ऋण विशेष बोर्ड के एक संचालक की रुचि के कारण नहीं, बल्कि उस संचालक से संबंधित होने से उपक्रम की साख के कारण दिया गया होगा। यह तो उस व्यवहार को मान्यता देना सा है। फिर वित्त मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने पर भी कुछ न हो सका। मध्य वित्त लोगों द्वारा शुरू किये गये उद्योग वित्ताभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। बंगाल में बिजली के पंखा-उद्योग की भी यही दशा हुई। एक बंगाली वैज्ञानिक द्वारा वह भारत में पहली बार बनाया गया, पर पीछे पैसे की कमी आड़े आ गई।

बड़े पूंजीपतियों की सहायता करना ही इस का लक्ष्य हो, तब तो यह निगम ठीक ही चल रहा है। पर देश के समन्वय पूर्ण विकास में या अपेक्षतया धनहीन व्यवसायिकों को ऋण देने में इस ने कुछ नहीं किया। पहले मेरे इस संशोधन का बहुत लोगों ने समर्थन किया था कि कोई संचालक निगम के ऋणों से लाभ न उठाये। वित्त मंत्री ने वह बात न मानी और वह परिपाटी अभी चली ही जा रही है।

सूची से विदित होता है कि कांच तथा चीनी मिट्टी-उद्योग को एक करोड़ उन्नीस लाख और रेयन उद्योग को ५० लाख रुपये दिये गये, पर मैं पूछूंगा कि इस से किन लोगों को लाभ हुआ।

अब वस्त्र उद्योग को लें। लोग स्वयं अपने नाम से ऋण न लें, पर अपने निकट सम्बंधियों के नाम से ले लेते हैं या निकट सम्बंधियों को संचालक-बोर्ड में भेज देते हैं। और यह विधेयक तो उन्हें निजी या पारिवारिक लाभ उठाने का और भी अवसर दे रहा है। विधेयक का खंड २० अधिनियम की धारा ३० क का संशोधन करते हुए निगम को किसी औद्योगिक उपक्रम के मन चाहे संचालक, और व्यक्ति या कंपनी को प्रबन्धक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति देता है।

श्री एम० सी० शाह : क्या यह उन औद्योगिक उपक्रमों की बात है, जिन को कथित खंडों के अनुसार ग्रहण कर लिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : खंड ग्रहण करने के सम्बन्ध में काफी विस्तृत शक्ति प्रदान करता है। दक्षिण भारत में मेरी जान में एक उपक्रम पर दबाव डाला जा रहा है, जिस से उसे दूसरे उपक्रम के हाथ में दिया जा सके। कंपनी विधि जांच समिति की सिफारिशों में प्रबंधक एजेंसी पृथा को ठीक नहीं माना गया है, फिर हाथ में लिये हुए उपक्रमों के ऊपर प्रबन्धक ऐजेंसी थोप देने की शक्ति निगम को क्यों दी जा रही है ? किसी व्यक्ति का नाम-निर्देश करने में निगम को जो झिझक होती वह किसी फर्म का नाम निर्देश करने में न होगी। आशा है, सदन इस उपबन्ध पर ध्यान देगा।

मूल अधिनियम की धारा २५ यह अधिकार देती है कि कुछ शर्तें लगा कर या संचालक वर्ग में अपना कोई संचालक नियुक्त कर के निगम किसी उपक्रम को आश्रय दे सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि कितने उपक्रमों को यह आश्रय दिया गया ? बंगाल में तो केवल एक फर्म को ही, जिस का मालिक इतना बड़ा आदमी था कि निगम उसे अप्रसन्न नहीं बना सकता था, आश्रय दिया गया। पर गरीब या मध्य वित्त व्यक्तियों के सभी आवेदन अस्वीकृत किये जाते रहे हैं। मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ ये आरोप लगा रहा हूं और आशा है सरकार गंभीरता से उनकी जांच करेगी।

फिर ऋण की राशि ५० लाख से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये की जा रही है। मूल उपबन्ध है कि उस उपक्रम की भुगताई गई पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकेगा।

श्री एम० सी० शाह : माननीय सदस्य गलती पर हैं। दस प्रतिशत भुगताई गई पूंजी निगम की थी, उपक्रम की नहीं।

श्री ए० सी० गुहा : अच्छा यही सही, पर अब तो वह भी बात नहीं रही। निगम की भुगताई गई पूंजी (५ करोड़) का दस प्रतिशत ५० लाख से अधिक नहीं हो सकता, पर शायद बड़े पंजीपतियों की सहायता के लिये वह बंधन भी हटाया जा रहा है।

[श्री ए० सी० गुहा]

इस विधेयक द्वारा सरकार एक उपप्रबन्धक-संचालक नियुक्त कर रही है, पर प्रबन्धक संचालक की उपस्थिति में उसे मत देने तक का अधिकार नहीं है । उसे संचालक नहीं बल्कि एक पदाधिकारी माना गया है । उसे पदाधिकारी रखना है, तो वह नाम न दें; अन्यथा उसे पूरी शक्ति दें ।

श्री एम० सी० शाह : यह अधिनियम उसे वह शक्ति देता है । धारा तो विद्यमान है ही ।

श्री ए० सी० गुहा : नहीं, वह पदाधिकारी भर है और कुछ बैठकों में ही उसे मत देने का अधिकार है । प्रबन्धक संचालक के स्थान की आकस्मिक रिक्तता में भी सरकार दूसरा व्यक्ति नियुक्त करेगी, यह उसका कार्य न कर सकेगा ।

प्रबन्धक संचालक के हटाये जाने वाला उपबन्ध बड़ा अच्छा है, पर कुछ शर्तों ने उसे व्यर्थ कर दिया है । किसी भी प्रबन्धक संचालक के विरुद्ध दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर सकना मुश्किल होगा, और अपने कृत्यों का समुचित निर्वाह न करने वाले व्यक्ति को सरकार तब तक न हटा पायेगी, जब तक बोर्ड का दो तिहाई बहुमत यह स्वीकार न कर ले । बोर्ड द्वारा स्वीकार होने पर ही सरकारी आज्ञा का लागू होना सरकार का अपमान है । अतः सरकार को यह शक्ति स्वयं अपने हाथों में ले लेनी चाहिये ।

विशेष रक्षित निधि खड़ी करने के स्थान पर तो सरकार सीधे-सीधे अर्थ सहायता दे दे । गत तीन वर्षों में वह लगभग २३,८९,००० रुपये दे भी चुकी है और रक्षित बैंक के अपने लाभांशों को इस निधि में जमा करा कर वह व्यवहारतः और दान ही दे रही है । इस निधि का प्रयोजन मेरी समझ में नहीं आता । सरकार कब तक यह दान देती रहेगी ? कुछ वर्षों की तो बात नहीं, क्योंकि खंड में तो स्पष्ट यह कहा गया है कि जब तक इस निधि की राशि ५० लाख रुपये से अधिक न हो जाये, ये लाभांश इस में जमा होते रहेंगे ।

श्री त्यागी : यदि यह एक वर्ष में हो गया, तो मामला खत्म हो जायेगा । सीमा वर्षों की नहीं, राशि की है ।

श्री ए० सी० गुहा : हां, पर यह एक वर्ष में नहीं हो सकता । तीन वर्षों में लाभांश प्रति वर्ष ३-४ लाख रुपया ही रहा है । वस्तुतः सरकार उसे ये ५० लाख रुपये और दे रही है ।

फिर निगम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से भी ऋण का उपबन्ध है । दामोदर घाटी निगम और रेलवे पुर्ननिर्माण के निमित्त उस से लिये गये ऋणों के ब्याज की दर कई बार प्रश्न उठाये जाने पर भी सरकार द्वारा नहीं बताई गई ।

हम आयोजित अर्थव्यवस्था अपनाने जा रहे हैं । योजना-आयोग उद्योगों के लिये पूर्ववर्तिता निश्चित कर चुका है । क्या निगम उसे अपना रहा है ? सूची से तो ऐसा प्रतीत नहीं होता । आशा है, सरकार निगम को यह समझा देगी कि वह ऋण देते समय राष्ट्रहित में संबंधित उद्योग के स्थान का सदैव ध्यान रखे ।

इस विधेयक का विचारार्थ आने वाले भारतीय रक्षित बैंक (संशोधन) अधिनियम से भी सम्बंधि है, जो खेतिहरों को ऋण की विशेष सुविधायें देने जा रहा है । यह निगम तो कृषि-सुधार के लिये कोई ऋण नहीं दे सकता, पर कम से कम उस पर ध्यान रखते हुए ऐसा उपबन्ध तो होना ही चाहिये कि यह अपना पैसा अनुसूचित बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ ही भूमि बंधक बैंकों में भी जमा कर सके ।

चाय-बागों को ऋण सम्बन्धी सुविधाओं वाले मेरे प्रश्न के उत्तर में श्री त्यागी ने बताया था कि वे सुविधायें रक्षित बैंक देता है। आशा थी कि यह निगम चाय-उद्योग की कुछ सहायता करेगा। केन्द्रीय चाय बोर्ड ने, जो प्रायः सरकारी संस्था ही है, रक्षित बैंक, इस निगम, अनुसूचित बैंकों और चाय-उपक्रमों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था। पर रक्षित बैंक और इस निगम के प्रतिनिधियों के न आने से कुछ न हो सका। आशा है, सरकार इस ओर ध्यान देगी। मूल अधिनियम में 'औद्योगिक उपक्रम' की परिभाषा लोक-संयुक्त-कम्पनी या सहयोगी संस्था दी गई है। पर इन में से अधिकांश चाय-बागों के लोक-संयुक्त-कम्पनी न हो कर निजी संयुक्त उपक्रम या निजी उपक्रम होने के कारण श्री त्यागी द्वारा निर्दिष्ट ऋण संबंधी सुविधायें सैद्धान्तिक-सुविधायें भर रह जाती हैं। आशा है, माननीय मंत्री इस पर भी विचार करेंगे। जहाजरानी कम्पनियों को औद्योगिक उपक्रमों में समेटने वाले और लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में महालेखा-परीक्षक का अधिकार बढ़ाने वाले उपबन्धों का मैं स्वागत करता हूं।

विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में मैं अपने पूर्ववक्ता से सहमत नहीं हूं। किस देश से ऋण लिया जाये, इस बात को लेकर मतभेद हो सकता है, पर आज की दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के बिना निर्वाह नहीं हो सकता। मेरी समझ से अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से कुछ सहायता लेने में कोई बुराई नहीं, पर इस विधेयक की चर्चा के समय उस के निबंधन और शर्तें सदस्यों के समक्ष रख देनी चाहियें थीं।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) इंगलैंड-अमरीका सम्बंधी प्रत्येक बात पर आक्षेप करने और संदेह करने लग जाने वाला विरोधी दल का रवैया सर्वथा अनुचित है। प्रत्येक बात पर गुणानुसार निर्णय करना चाहिये। श्री टी० के० चौधरी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में भी खतरा पाते हैं। पर पिछड़े देशों की सहायता विकसित देशों द्वारा सदैव की जाती रही है और इस में कोई बुराई नहीं है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बैंक या इंगलैंड-अमरीका से ऋन लेना कुछ बुरी बात नहीं है। देखना यह है कि उस से हमारी सर्वप्रभुत्वसंपन्नता तो खतरे में नहीं पड़ती और उस में कुछ राजनीतिक शर्तें तो नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की ब्याज दर (४ प्रतिशत) शायद कुछ अधिक है और हम उसे कम करने के लिये बात कर सकते हैं।

दूसरी बात इस निगम को निजी निगम के स्थान पर राज्य निगम बनाने की है। चौथी रिपोर्ट से ही स्पष्ट है कि इस के निजी निगम होने के कारण अंश भाजकों को तीन वर्षों का प्रत्याभूत लाभांश चुकाने के लिये सरकार से रु० २,९९,७०९-७-० की मांग और की गई जब कि वह रु० २३,८९,४१६-१३-६ पहले ही दे चुकी थी और यह बोझ सामान्य कर-दाता पर पड़ा। यदि यह राज्य-निगम होता, तो ऐसा न करना पड़ता। और यदि वह अब भी राज्य निगम बना दिया जाये, तो यह लाभ सरकार को होने लगेगा।

खंड १३ मूल अधिनियम की धारा १३ में संशोधन करता हुआ भुगताई पूंजी की दस प्रतिशत और ५० लाख रुपये से अनधिक राशि को बढ़ा कर एक करोड़ रुपया करना चाहता है। चौथी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निगम की पूंजी, दायितायें, संपत्ति और परिसंपत्, कुल मिला कर ११,३८ लाख हैं। मूल अधिनियम की धारा ४ के अनुसार अधिकृत पूंजी १० करोड़ रुपये है; जब कि प्रार्थित और भुगताई गई पूंजी ५ करोड़ ही है, और धारा २२ के अनुसार निक्षेप ५ करोड़ रुपयों से अधिक न होने चाहिये, और ऋण भुगताई गई पूंजी के पंचगुने से अधिक न होने चाहिये। ११,३८ लाख की पूंजी में से एक करोड़ के ११

[श्री एस० वी० रामास्वामी]

ही ऋण दिये जा सकते हैं, पर रिपोर्ट निम्न विवरण देती है :

आवेदनों की संख्या		राशि
		रुपये
(१) १० लाख से अनधिक ऋण	५३	२,९९,४५,०००
(२) १० से २० लाख तक के ऋण	२१	३,२१,००,०००
(३) २० से ३०	७	१,९५,००,०००
(४) ३० से ४०	५	१,९५,००,०००
(५) ४० से ५०	८	३,९३,००,०००

रु० ७,३०,२५,००० की राशि के लिए आये हुए ५४ आवेदनों में से रु० ४,४५,२५,००० की राशि के लिये ३३ आवेदन मंजूर किये गये थे, जो लगभग प्रति आवेदन १५ लाख रुपया होता है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि वह राशि को ५० लाख से बढ़ा कर १ करोड़ रुपया क्यों करना चाहते हैं। आशा है, वह अपने उत्तर में इस पर प्रकाश डालेंगे।

फिर रिपोर्ट के पृष्ठ ४ से पता चलता है कि कुछ उद्योगों और कुछ विशेष प्रान्तों को ही अधिकांश राशियां प्रदान की गई हैं। छोटे उद्योगों का नाम तक नहीं है। और प्रान्तों में अकेले बम्बई को अब तक कुल १४ करोड़ में से ४१५ लाख (मंजूर किये गये २९ आवेदनों पर) दिया गया है। मद्रास को कुल १२१ लाख ही मिले हैं। अतः पिछड़े उद्योगों और प्रभाव न रखने वाले प्रान्तों को इस निगम से कोई लाभ नहीं हुआ। आशा है, आगे से निगम समुचित वितरण करेगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : निगम के चार वर्ष के कार्य-काल में संविधान सभा में १९४८ में मूल-अधिनियम के पारित होते समय कुछ सदस्यों द्वारा प्रकट किया गया यह भय सत्य सिद्ध हो गया है कि इस का दुरुपयोग होगा। यह निगम निजी उद्योगों को सहायता देने के लिये एक केन्द्रीय निधि के रूप में काम कर रहा है। अतः यह अधिनियम देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन ही है। उस समय प्रो० के० टी० शाह ने इस निगम के राष्ट्रीयकरण के लिये अकाट्य तर्क दिये थे। अधिनियम के अनुसार अंशों की गारंटी तो सरकार देती है, पर निगम के प्रबन्ध और नियंत्रण में उस की बात पूरी-पूरी नहीं चलती। सरकार की गारंटी होने पर स्वामित्व और प्रबंध सरकार का ही होना चाहिये।

पंचवर्षीय योजना को दृष्टि में यदि आप को आयोजित अर्थव्यवस्था अपनानी है, तो क्या देश के उद्योगों को सहायता देने वाला यह निगम अंशतः निजी-स्वामित्व के अधीन होना चाहिये? देश के विकास का उत्तरदायित्व सरकार का होने से इन विषयों में सर्वत्र राज्य की ही बात चलनी चाहिये। पर यहां इस निगम की पूंजी की गारंटी तो सरकार दे रही है और इस पर नियंत्रण निजी पूंजीपतियों का है। फिर यदि निगम को घाटा पड़े, तो उसे सरकार सहेगी। यदि सरकार देश में सर्वत्र एक समान आर्थिक विकास करना चाहती है, तो यह निगम की बागडोर पूर्णतः उस के हाथ में होनी चाहिये।

माननीय मित्र श्री गुहा ने उदाहरण देते हुए बताया था कि निगम से सहायता प्राप्त करने के लिये कुछ निजी उपक्रम निगम के संचालकों के निकट-संबंधियों को अपना संचालक बना लेते हैं, और उन को तुरन्त ऋण

मिल जाता है। मैं ने भी ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये।

राष्ट्रीयकरण हमारी अर्थव्यवस्था की आधार शिला होना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अभी और बोलेंगे। अस्तु, अब सचिव राज्य-परिषद् से प्राप्त एक संदेश पढ़ेंगे।

राज्य-परिषद् से प्राप्त संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे सचिव, राज्य-परिषद् से प्राप्त निम्न संदेश प्रतिवेदित करना है :

"राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य-संचिलन नियमों के नियम १६२ के उपनियम (६) के उपबन्धों के अनुसार, मुझे भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४, में पुनः संशोधन करने वाले विधेयक को, जो लोक-सभा द्वारा अपनी १४ नवम्बर, १९५२ की बैठक में पारित किया गया था और राज्य-परिषद् के पास अपनी सिपारिशों के लिये प्रेषित किया गया था, वापस लौटाने और यह कहने का निदेश मिला है कि कथित विधेयक के संम्बंध में परिषद् को लोक-सभा के पास कोई सिपारिश नहीं करनी है।"

सभापति महोदय : अब सदन कल १०-४५ म० पू० तक के लिये स्थगित होता है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, २६ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई।